खण्ड-320, अंक-7
मंगलवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1898
(30 मार्च, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	629–631
प्रश्नोत्तर	632–650
सदस्य के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी	651
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1974-75) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	651–652
श्री केशरी लाल द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	652–653
परिवार नियोजन विभाग से संबंधित कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य	653–655
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	655
उत्तर प्रदश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 (पुरः स्थापित किया गया) ..	655–656
उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	656
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	656
1976–77 के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	657
उत्तर प्रदेश विनयोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 (जारी) ..	657
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	657–675
उत्तर प्रदेश विनयोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 (पारित) ..	675–683
भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	683–690
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	691
नत्थियां	692–713

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 30 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—261

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झिलमिट, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री

दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
दव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मुहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा; श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 30 मार्च, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[तीसरे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

[मंगलवार, 30 मार्च, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*1--श्री अठई राम--

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

फूलपुर जिला इलाहाबाद में खाद की फैक्टरी हेतु ली जाने वाली जमीन

*2--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के फूलपुर में बन रही खाद फैक्टरी में कुल कितनी उपजाऊ जमीन ली जा रही है और उसमें कितने काश्तकार ऐसे हैं जो भूमिहीन हो जायेंगे ? क्या यह बात सही है कि फूलपुर फैक्टरी जहां बन रही है वहां पर काफी मात्रा में ऊसर पश्चिमी जमीन खाली पड़ी है अगर उसे ले लिया जाये तो उपजाऊ जमीन बच सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार)--

पूर्व सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अठई राम--

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को पूछे काफी समय हो गया है। वहां पर लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

अभी सूचना एकत्र की जा रही है। अगले मंगलवार को फिर आयेगा तब आप प्रश्न पूछें।

*3--श्री हेमराज--

[1 ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

*4--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 पर स्थानान्तरित।]

सहकारिता विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की कथित मुअत्तली

*5--श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में कितने तथा कौन-कौन राजपत्रित अधिकारी हैं जो लगभग 2 वर्ष से मुअत्तल हैं? उक्त के सम्बन्ध में अब तक निर्णय न होने का कारण क्या है ?

श्री विजय कुमार--

सहकारिता विभाग में लगभग 2 वर्ष से कोई राजपत्रित अधिकारी मुअत्तल नहीं है। प्रश्न के दूसरे भाग में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

*7—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 10 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

भूमि विकास बैंक इम्प्लाईज यूनियन द्वारा विधान भवन के सामने कथित अनशन

*8—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूमि विकास बैंक इम्प्लाईज यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक 15 मई, 1975 से क्रमिक अनशन विधान सभा भवन, लखनऊ में किया जा रहा था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

भूमि विकास बैंक इम्पलाईज यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक 15-5-75 से विधान सभा भवन, लखनऊ में कोई भी क्रमिक अनशन नहीं किया गया।

*9—श्री बाबू लाल वर्मा—

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

*10—श्री अनवार जमील—

[1 ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर उत्तरित।]

*11—श्री श्रीनारायण—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

*12—श्री त्रिवेणी सहाय—

[10 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

गुरूसहायगंज, फर्रुखाबाद के बफर गोदाम में खाद के वितरण में अनियमितता

*13—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 22 अप्रैल, 1975 को दिए गए प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने जांच कराई? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

जी हां। उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र की जांच कराई गयी। जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये दो ग्राम सेवकों तथा एक लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एक गैर-सरकारी व्यक्ति भी दोषी पाया गया और उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) दर्ज करा दी गयी है। पुलिस की जांच जारी है।

*14—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

मिर्जापुर जिले के लिंक रोड के निर्माणार्थ आवंटित धन राशि के दुरुपयोग के सम्बंध में श्री एस० पी० जैन, जिलाधिकारी का निलम्बन

*15—श्री राम सुन्दर पांडेय—

दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिंक रोड के निर्माण के लिये वर्ष 1971-72 में 14 लाख रुपए से अधिक की जो धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की गई थी वह धनराशि अन्य मदों में खर्च कर दी गई ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के कारण जिलाधिकारी, मिर्जापुर के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हबीबुर्रहमान नोमानी)—

लिंक रोड निर्माण के लिये वर्ष 1971-72 में आबंटित धनराशि को अन्य मदों पर खर्च करने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री एस० पी० जैन, तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दिनांक 21 जनवरी, 1976 की अपराह्न से निलम्बित किया गया है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में कितना रुपया आबंटित किया गया और खर्च कितना रुपया किया गया ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

कुल रुपया जो उनको दिया गया 14, 81, 481 रु० था जिसमें से रोड निर्माण पर उस वक्त उन्होंने खर्च किया 2 लाख 35 हजार। फिर बाद में जब अध्यापकों की ग्रांट मिली उसमें से कुछ खर्च किया इस प्रकार इसमें 6 लाख 6000 हजार रुपया खर्च हुआ, लिंक रोड पर।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये श्री एस० पी० जैन जो हैं, उनको मुअत्तल किया गया और उसके बाद उनको अवकाश दिया गया और वह दिल्ली में कोई होटल चला रहे हैं, क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई चीज मेम्बर महोदय बतायेंगे तो उसकी जानकारी करायेंगे और कार्यवाही भी उस पर करेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

अगर वह छुट्टी पर हैं तो उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिये। मुअत्तल होने के बाद वह कहां हैं, दफ्तर में हैं या कहां हैं, क्या काम कर रहे हैं और मुअत्तल होने के बाद उन्होंने अवकाश लिया इसकी जानकारी आपको होगी ?

श्री अध्यक्ष—

मुअत्तल होने के बाद कहां हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिये ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

मैंने जैसा बताया कि अगर आपको कोई जानकारी हो तो बतायें ?

श्री अध्यक्ष—

यह जानकारी आपको होनी चाहिये, आपने मुअत्तल किया है। क्या जब कोई मुअत्तल होता है, तो कहीं दूसरी नौकरी नहीं कर सकता है ? यह आपको बताना पड़ेगा। इसलिये मैं इसे स्थगित करता हूं।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, इसके बारे में जानकारी कर लेंगे और तब बता देंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि श्री राम सुन्दर पाण्डेय जी ने बताया 14 लाख रुपये का मामला है। फाइनेन्सियल रूल जो है, वह सरकार द्वारा बनाये जाते हैं। यह देखा जाता है कि बड़े-बड़े अधिकारी फाइनेन्सियल रूल्स को तोड़ कर पैसा खर्च कर देते हैं और यह भी देखा जाता है कि बहुत अर्से तक मुअत्तिल रहते हैं, और फिर सिफारिश करके विभाग में वापस आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग कायदे कानून को तोड़ कर काम करते हैं और उनको मुअत्तिल कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों को सेवा निवृत करने के लिये कोई कदम आप उठा रहे है ताकि बड़े-बड़े अधिकारी गलती न किया करें ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अभी तो जांच जारी है और जांच में जितने भी आरोप मिलेंगे, अनियमितताएं मिलेंगी, उनको सुधारने के लिये दण्ड तो दिया ही जाएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह बड़ा गम्भीर विषय है, धन एलाट यहां से हुआ है और वह उस मद पर खर्च न करके दूसरे पर खर्च कर दिया तो इसमें जांच की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। जब आरोप सिद्ध है। इसके लिये दण्ड की आप तत्कालिक क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसमें उनको मुअत्तल किया, इसलिये कि उन्होंने गलत काम किया अब और भी ऐसी शिकायतें हो सकती हैं, उनको भी खोजा जा रहा है और दंड दिया जाएगा।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताऐंगे कि इस धनराशि और काम के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं में भी करीब-करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यदि इसकी जानकारी है तो उसके संबंध में सरकार की ओर से वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

उनकी ओर से 23 आरोप रहे हैं, जिनमें 7 मुकम्मल हो चुके हैं और शेष पर कार्यवाही हो रही है। जैसे ही पूरी हो जाएगी, कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि एस0पी0 जैन के अतिरिक्त इस तरह का अनियमित खर्च करने में इस जिले में और भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

इस वक्त हमारे सामने सिर्फ श्री एस0 पी0 जैन का मामला है। और किसी के बारे में हो तो वह जानकारी दें, तो उसमें कार्यवाही की जायगी।

गोंडा जिले के ग्राम मझगवां में कृषि बीज गोदाम में कथित गबन

*16—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला गोंडा के ग्राम मझगवां स्थित कृषि बीज गोदाम से 90,000 रुपये के गबन की रिपोर्ट 1975 में विभागीय अधिकारियों ने स्टोर इन्चार्ज के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराई है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसमें जो उत्तर आया है कि कोई रिपोर्ट इस तरीके से दर्ज नहीं की गई, किन्तु मुझे यह पूर्ण जानकारी हैं मैने स्वयं स्वतंत्र भारत, समाचार पत्र में भी पढ़ा कि 90 हज़ार रुपये के गबन की रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों ने स्टोर इन्चार्ज के विरुद्ध की ....

श्री अध्यक्ष—

केवल अखबार की बात पर निर्भर करना ठीक नहीं है। अपनी जानकारी भी होनी चाहिये किसी मामले में। मात्र अखबार के समाचार पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

यह सही है, लेकिन मझगवां गांव के कुछ व्यक्तियों ने मुझे बताया है कि वहां पर लाखों रुपये का गबन हुआ है, उसकी सूचना पुलिस को दी गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस थाने में मझगवां गांव या बीज गोदाम पड़ता है, वहां पर से भी जानकारी कराई गई या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न जिस प्रकार का था कि 90 हजार रुपये गबन की रिपोर्ट कराई, वह तो सही नहीं है। लेकिन जिस बीज गोदाम इंचार्ज के खिलाफ दिसम्बर, 74 में कुछ व्यक्तियों ने शिकायतें की जिसकी जांच कराई गई, जांच कराने के बाद प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला कर दिया गया। तब उसकी जांच आडिट भी कराई गई। आडिट के बाद जो बात प्रकाश में आई तो 5 आदमियों को निलम्बित कर दिया गया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की थी, वह क्या थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, शिकायत तो बहुत लम्बी है, लेकिन जो तथ्य आडिट रिपोर्ट के आये हैं और जो 4 व्यक्ति निलम्बित हुए हैं, उसमें ग्राम सभा का प्रधान जिसमें उन्होंने फर्जी चन्द आदमियों के नाम से बीज लिया हुआ है और आडिट रिपोर्ट के हिसाब से बिना परमिट के उर्वरक बेचना, प्रति सप्ताह नकद बिक्री को कोषागार में जमा न करना, भुगतान के वाउचर समय से जमा न करना, दो हजार के स्टाक को आगे न ले जाना, 17 बोरी यूरिया का कम पाया जाना, प्रोसेशन हेतु 340 रुपये के अनियमित बिल ईशू करना और 73–74 के पृथक सत्यापन में उर्वरक की कमी होना आदि।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब यह बात सिद्ध हो रही है कि 2,354 रुपये की इस प्रकार से कमी पायी गयी जिसे कहीं पर जमा नहीं किया गया, तो उसकी सारी बातों को ध्यान में रख कर क्या धारा 409 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत गबन की कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, 19–4–75 को रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी, दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच खत्म नहीं हुई है। विभागीय जांच हो गयी है। चार्ज शीट दे दी गयी है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

माननीय, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है और अभी फिर उत्तर दिया कि 19-4-75 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने किस आधार पर यह उत्तर दिया ? माननीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में इस रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश की। मान्यवर, यह छिपाने की कोशिश क्यों की गयी ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, 90 हजार की बात नहीं है, उसमें।

श्री अध्यक्ष—

बहुधा ऐसे प्रश्न हो जाते हैं और जो सही स्थिति होती है, उससे शासन अवगत नहीं हो पाता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

रिपोर्ट हुई, उसका उत्तर मान्यवर, देना चाहिए था ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो टेक्निकल जरूर है। आपका जो प्रारूप था, वह ठीक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूं। आइन्दा इस प्रकार के उत्तर न भेजे जायेंगे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गयी और जिसमें दो आदमी गिरफ्तार हुए थे, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट में कुल कितने रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने रुपये की वह गबन की रिपोर्ट है, जो दर्ज करायी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आडिट रिपोर्ट के आधार पर जितनी अनियमितायें नजर आयीं, वह 9 हजार रुपये की हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस वक्त भ्रष्टाचार मिटाने का कार्यक्रम चल रहा है तो क्या इस तरह का कानून बनायेंगे कि, जो व्यक्ति आडिट होने के कारण मुलजिम बनता है, तो उस पर पुलिस केस चलाया जायेगा ? इस तरह के मामले को विभागीय कार्यवाही में क्यों उलझाये रखा जाता है ? क्या यह भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं ? आप देखें कि यह मामला विभागीय जांच में पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर देने के लिये खड़े हैं और आप बोलते जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जितना गबन साबित होगा वह वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी और उसके फलस्वरूप जो गबन से पुलिस केस कार्यवाही हो सकती है, वह की जायेगी।

*17—श्री श्रीनारायण—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

कानपुर जिले की ग्राम सभा भीखदेव कहिजरी का अविक्रमण

*18—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड रसूलाबाद के ग्राम भीखदेव कहिजरी के प्रधान के विरुद्ध गबन के भारी गम्भीर आरोप हैं और परगनाधिकारी, डेरापुर ने उक्त ग्राम पंचायत को मुअत्तल कर दिया है? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और इनकी गिरफ्तारी न होने के क्या कारण हैं?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां,

परगनाधिकारी, डेरापुर द्वारा गबन के भारी आरोप होने के कारण गांव सभा को सुपरसीड (Supersede) कर दिया गया तथा मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपों का विवरण संलग्न है।

पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार धारा 409/468 आई० पी० सी० के आरोप होने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने प्रधान के विरुद्ध बिना जमानत का वारन्ट जारी किया परन्तु प्रधान के न्यायालय में आत्म समर्पण करने पर न्यायालय ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 692 पर।)

*19—श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

ग्राम प्रधान, मौजा आंट, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

*20—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांव प्रधान मौजा आंट, तहसील मिसरिख, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग की अगस्त, 1975 में रजिस्टर्ड डाक द्वारा कुछ हरिजनों तथा अल्प संख्यकों की शिकायत हाकिम तहसील मिसरिख, जिला सीतापुर तथा डिप्टी कमिश्नर, सीतापुर व सामुदायिक विकास मंत्री को मिली है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां।

प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है और उनको आरोप पत्र दिया जा चुका है।

देवरिया जिले के प्राइमरी स्कूल के कतिपय अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद् एवं सहकारी समितियों से वेतन का भुगतान

*21—श्री हरि केवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी स्कूल ऐसे कौन-कौन से तथा कितने हैं जो वर्ष 1975 से पूर्व से साधन सहकारी समितियों के एकाउन्टेन्ट हैं और समितियों से वेतन लेते हैं और बेसिक शिक्षा परिषद् से भी वेतन लेते हैं। यदि हां, तो क्यों?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जनपद देवरिया में वर्ष 1975 से पूर्व 4 प्राइमरी स्कूलों के निम्नलिखित चार अध्यापक ऐसे पाये गये जो साधन सहकारी समितियों के एकाउन्टेन्ट थे और समितियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद् से वेतन लेते हैं :—

(1)	श्री परम हंस द्विवेदी	.. प्राइमरी स्कूल, दिक्षितौली
(2)	श्री राजदेव पांडे ..	.. प्राइमरी स्कूल, मझबलिया
(3)	श्री बिजय बहादुर सिंह	.. प्राइमरी स्कूल, पिण्डोली
(4)	श्री परम हंस भारती	.. प्राइमरी स्कूल, नकटापार

उपरोक्त अध्यापकों को समिति के संचालक मण्डल द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों के अभाव में तथा सदस्यों का उनके प्रति विश्वास होने के कारण अध्यापक रहते हुये एकाउन्टेन्ट पद का कार्य सौंपा गया था। अब उपरोक्त अध्यापकों ने एकाउन्टेन्ट पद से त्याग पत्र दे दिया है जिसे समितियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

*22—श्री हरिकेवल—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 34 पर उत्तरित।]

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, पयागपुर, बहराइच के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*23—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड पयागपुर, जिला बहराइच को वर्ष 1974 में तत्कालीन सचिव (श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता) क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड पयागपुर के द्वारा चार सौ कुन्टल अरहर बलरामपुर की किसी फर्म के हाथ बेचकर कमीशन में दिखा दिए जाने से समिति को लगभग दस हजार रुपए की क्षति हुई है और इस सम्बन्ध में फरवरी, मार्च, 1975 में जिलाधिकारी, बहराइच को सदस्य बोर्ड ने लिखित सूचना भी दी है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह स्थगित करता हूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इसी तरह का सवाल मैंने पिछले सत्र में पूछा था। जब सदन हो गया तो पुनः पूछा तो करीब एक वर्ष हो रहा है, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह अगले मंगलवार को आएगा।

*24—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 पर स्थानान्तरित।]

बिजनौर–लखनऊ रात्रि बस सेवा की समाप्ति

*25—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की एक बस जो बिजनौर से अमरोहा होती हुई लखनऊ आया करती थी पिछले वर्ष बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिये वह बस पुनः चालू कराने की व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

जी हां, बिजनौर-लखनऊ रात्रि बस सेवा प्रयोगात्मक रूप से जुलाई, 1974 से संचालित की गई थी परन्तु उक्त सेवा अलाभकर होने के फलस्वरूप अगस्त, 1975 के प्रथम सप्ताह में बन्द कर दी गई। चूंकि सेवा अलाभकर है, इसलिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पुनः सेवा चालू करने के पक्ष में नहीं है।

क्षेत्रीय प्रबंधक, राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली रीजन की स्टाफ कार के रख-रखाव पर व्यय

*26—हाजी मोहम्मद हयात (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 एम0, रोडवेज, बरेली ने वर्ष 1975 में अपनी स्टाफ कार को कितने किलोमीटर इस्तेमाल किया है तथा उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

क्षेत्रीय, प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली रीजन, बरेली ने वर्ष 1975 में अपनी स्टाफ कार को कुल 30,647 किलोमीटर बसों की चेकिंग एवं निरीक्षण आदि अति आवश्यक विभागीय कार्यों के हित में चलाया जिस पर पेट्रोल, मोबिल आयल तथा मरम्मत के कार्यों पर उक्त वर्ष में कुल रुपये 22,920.88 पैसे व्यय हुआ।

*27—श्री देव कुमार यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

देवरिया जिले के पडरौना–जटहा बाजार मार्ग पर राजकीय बस चलाने की मांग

*28—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्वांचल के पिछड़े जनपद देवरिया के उत्तरांचल में पडरौना से जटहा बाजार तक पक्का मार्ग होते हुये भी रोडवेज की कोई बस उस मार्ग पर नहीं चलती जिससे उस पिछड़े क्षेत्र की जनता को अपार कष्ट है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग पर कब तक रोडवेज बसों के चलाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

पडरौना से जटहा बाजार तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, इसलिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर बसें नहीं चलाई जा रही हैं। परन्तु 5 निजी बस आपरेटरों की बसें इस मार्ग पर चल रही हैं, जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस क्षेत्र में यह जो अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनकी परिभाषा क्या है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

राष्ट्रीय कृत मार्ग के अलावा जहां प्राइवेट बसें चलती हैं, उनको अराष्ट्रीयकृत मार्ग मानते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो राष्ट्रीयकृत नहीं हैं वे अराष्ट्रीयकृत हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि अराष्ट्रीयकृत से उनका मतलब क्या है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

परिवहन निगम द्वारा जिन प्रेस्क्राइब्ड रूट्स पर सरकारी बसेज चलती है, उन्हीं को राष्ट्रीयकृत मार्ग कहते हैं।

और जहां पर, वह जगहें जो राष्ट्रीयकृत नहीं है, शड्यूल में नहीं हैं उनको अराष्ट्रीकृत कहते हैं, वहां पर प्राइवेट बसेज चलायी जाती है। यह बड़ी खुली हुयी बात है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, यह नेशनल हाइवे को कन्फ्यूज कर रहे हैं। असलियत में राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत में फर्क है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना से जटहाबाजार तक का जो पक्का मार्ग है, वह कितने मील का है और उसको राष्ट्रीयकृत करने में सरकार को क्या आपत्ति है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, पडरौना से जटहाबाजार तक का फासला 24 किलोमीटर है। और क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क के मुख्यालय द्वारा निर्देश दिये जा रहे हैं कि वह मार्ग का सर्वेक्षण करके राष्ट्रीयकरण हेतु अपनी संस्तुति सहित योजना बनाकर भेजे। योजना के प्राप्त होने के पश्चात् ही मामले को जांच कर निर्णय लिया जा सकेगा कि मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाय या नहीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, 24 किलोमीटर का मार्ग है, काफी लम्बा रास्ता है, पक्का भी है। इन्होंने इससे छोटे-छोटे मार्गों पर सरकारी बसे चलायी हैं। तो माननीय मंत्री जी इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या प्राइवेट आपरेटर्स जो इस मार्ग पर चलते हैं, उनका दबाव है कि इसका राष्ट्रीयकरण न किया जाय? क्या कारण है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने उत्तर दिया कि इसकी जांच करवायी जा रही है और यदि आप चाहते हैं तो मैं देवरिया से, जटहा बाजार तक बस चला सकता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, इन्होंने आश्वासन दिया है कि बस चला सकते हैं। मान्यवर, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि चलायी जाय। मंत्री जी स्पष्ट करें कि हम चला देंगे?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो।

(आज्ञा नहीं दी गयी)

कृषि उद्योग निगम द्वारा मेसी फरगूसन ट्रैक्टर का आबंटन

*29—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1972 में 150 मेसी फरगूसन ट्रैक्टर कृषि उद्योग निगम के द्वारा कृषकों को आबन्टित किए गए थे लेकिन उनमें से कुछ को अब तक ट्रैक्टर नहीं मिल पाए हैं जब कि यह ट्रैक्टर 1972 में ही राज्य ट्रेडिंग निगम को टाफे मद्रास से वितरण हेतु दिए जा चुके थे? यदि हां, तो कृषकों को ट्रैक्टर न दिए जाने का क्या कारण है और अब भविष्य में यही ट्रैक्टर कब तक और किस कीमत पर दिए जायेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं।

सूकर खेत पसका, जिला गोंडा में पर्यटन केन्द्र की स्थापना की मांग

*30—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)†—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1975–76 में अब तक इस प्रदेश के किन–किन जिलों में नये पर्यटन केन्द्र स्थापित किए गए ? क्या मंत्री जी को कोई पत्र सूकर खेत पसका, जिला गोन्डा में नया पर्यटन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सूकर खेत पसका में पर्यटन केन्द्र न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

वित्तीय वर्ष 1975–76 में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, अयोध्या (फैजाबाद) एवं क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय झांसी की स्थापना की गई।

फैजाबाद मंडल के प्रभागीय पर्यटन सलाहकार समिति ने सूकर खेत पसका, जिला गोंडा के पर्यटन विकास के विषय में संस्तुति की थी परन्तु धनाभाव के कारण विभाग द्वारा कोई योजना अभी नहीं बनाई जा सकी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन केन्द्र चयन करने का क्या आधार होता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, चयन के कई आधार होते हैं, जैसे प्राकृतिक सौन्दर्य देखा जाता है, धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आदि कई बातें हैं, जिनको लेकर किसी स्थान का चयन किया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मन्त्री जी ने कहा कि धनाभाव के कारण प्रस्तावित जगह पर केन्द्र नहीं खोला गया है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्ष कितनी धनराशि पर्यटन के लिए रखी गयी थी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

बजट में कितना पैसा रखा गया था, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन जो सम्भव हुआ पिछले वर्ष उसका क्षेत्रीय पर्यटक केन्द्र अयोध्या, झांसी में खुला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या मन्त्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि पिछले वर्ष जो धनराशि पर्यटन के लिए रखी थी, वह पूरी खर्च हो चुकी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

मान्यवर, पूरी धनराशि इस्तेमाल की जा चुकी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

16 के उत्तर के सम्बन्ध में मैं एक शुद्धि करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

पर्यटन मन्त्री जी यदि पर्यटन केन्द्र बन सके तो ठीक होगा तुलसी दास की गुरु भूमि बताते हैं, पसका जिसका प्रयागराज के बाद दूसरा स्थान है। जहां कल्पवास होता है। यदि धन हो जाय तो केन्द्र कायम कर दें, मैं स्थल पर गया था। निवेदन किया गया है।

---

†तारांकित प्रश्न संख्या 30 श्री गोविन्द सिंह नेगी ने पूछा।

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

आपका आदेश माना जाएगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न 16 के उत्तर में कुछ भ्रम के कारण मुझसे यह उत्तर दिया गया था कि 2 आदमी गिरफ्तार किए गए और 4 को निलम्बित किया गया है। मान्यवर, इससे पहले जो उत्तर था, उसका उत्तर था। इसमें एक ही आदमी दोषी था और वह निलम्बित किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह प्रश्न वर्मा जी का है।

सरकार द्वारा आलू खरीदने की योजना

*31—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में आलू पैदा करने वाले कृषकों को आलू बेचने के सम्बन्ध में कुल विशेष सुविधायें देने की योजना इस वर्ष बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री चेतराम गंगवार—

जी हां।

इस वर्ष शासन द्वारा आलू के रोग रहित होने का प्रमाण-पत्र तथा ग्रेडिंग कराने के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उचित दर से खरीद कराई गयी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद —

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आलू सबसे अधिक किन-किन जिलों में पैदा होता है और किस मूल्य पर किन-किन जिलों में, और किन-किन संस्थाओं से खरीदा गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सबसे अधिक आलू फर्रुखाबाद जिले में होता है। प्रदेश के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत 8 केन्द्रों पर आलू खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 जिलों में नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन, आलू की खरीद कर रहा है। मध्य फरवरी से अब तक 61,646 क्विन्टल आलू की खरीद की जा चुकी है, और खरीद 45 रुपए प्रति क्विन्टल की गयी है। जो काश्तकार बोरी लाता है तो 5 रुपए बोरी का भी दे दिया जाता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

किन-किन जिलों में कितनी आलू की खरीद की गयी यह तो बतायें?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर में 32,160 क्वि0, बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, मैनपुरी, फर्रुखाबाद इन सब में इतना ही लगभग 31 हजार क्वि0 खरीदा गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जिन तीन जिलों में खरीद की गई और अन्य 7 जिलों में, अलग-अलग कितनी-कितनी पैदावार हुई? फर्रुखाबाद के बाद मेरठ और फिर बदायूं जनपद का नम्बर आता है। तो क्या कारण है कि इन जिलों के मुकाबले में, उन 7 जिलों से जहां पैदावार कम होती है, क्यों आलू की खरीद की गई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नेफेड जिन 10 जिलों से खरीद कर रही है, वह 4 वैरायटीज का ही खरीद रही हैं, जसमें चंद्रमुखी, कुफरी बहार, मिलिट्री स्पेशल और शीत मान है। चूंकि इन वैरायटीज का ही निर्यात होता है इसलिए जिन जिलों में इनका उत्पादन ज्यादा होता है, जहां से जितना मिल रहा है, उतना ही वे खरीद रहे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

हर जिले में किन-किन तारीखों से खरीद होना शुरू हुआ है?

श्री अध्यक्ष—

आप बतायें कि किस जिले में ठीक से खरीदारी नहीं हुई है?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, मुझे यह बता दिया जाय कि इन 10 जिलों में, प्रत्येक में किस-किस तारीख से खरीद की शुरूआत हुई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन 15 फरवरी से उन्होंने खरीदारी आरम्भ कर दी थी। कुछ में उस दिन और कुछ में 1-2 दिन बाद में इस प्रकार से फरवरी के अन्त तक इन सब चीजों में जिनका मैंने जिक्र किया है, खरीद हुई।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

सुनने में आया है कि 45 रुपए क्विन्टल के भाव पर खरीद कर, इसको 160 रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से बम्बई आदि में बेचा जा रहा है और इस प्रकार से प्रति क्विन्टल 115 रुपये का फायदा नेफेड उठा रहा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि यह अतिरिक्त दाम किसानों को दिलवाया जाय?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो माननीय सदस्य ने सूचना दी मुझे भी इस प्रकार की सूचना मिली थी और मैंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्री से बातचीत की थी कि नेफेड वाले 45 रु0 प्रति क्विन्टल में खरीद कर 150–160 रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेच रहे हैं। ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज निकाल कर, वे नेफेड वाले कुछ ज्यादा मुनाफा बीच में ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं उनको लिखूंगा भी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जनपद बदायूं में अभी तक खरीदारी शुरू नहीं हुई है? जिस किस्म का आलू वहां पर पैदा होता है वह तीसरे नम्बर पर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जैसा मैंने बताया बरेली, बदायूं, रामपुर और मुरादाबाद, इन चार जिलों में, नेफेड द्वारा 22,499 क्विन्टल आलू की खरीदारी हुई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा बदायूं जिले में 2,880 क्विन्टल आलू की खरीद हुई है, कुफरी, सिन्दुरी और चन्द्रमुखी जिसे सी-140 भी कहते हैं 1,645 क्विन्टल की खरीदारी हुई।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, जौनपुर जिला भी आलू के उत्पादन में काफी आगे हैं। इसमें इस जनपद का कहीं पर नाम ही नहीं है। तो ऐसे अच्छे उत्पादक जिले को क्यों छोड़ दिया गया है?

श्री चेतराम गंगवार—

जौनपुर में भी खरीद हो रही है और वहां 5,600 क्विन्टल खरीदा जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 45 रुपये क्विन्टल पर खरीदवा रहे हैं, जबकि 160 और 165 रुपए क्विन्टल तक बाम्बे में यह आलू बिकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं भी इसकी मार्केटिंग करने की कोई योजना बनायेगी, जिससे कि यहां का आलू सीधा जा सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं तो चाहता था पिछले वर्ष भी, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट ग्री हम नहीं कर सकते। हम तो खरीद कर नेफेड को ही दे सकते हैं और वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से विदेशों को भेजता है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मन्त्री जी ने अभी कहा है कि केवल चार किस्म के आलू निर्यात के लिए अच्छा है और केवल उन्हीं की खरीद हो रही है। तो क्या कृषि विभाग ने इस प्रकार की सूचना, आलू बोने वाले किसानों को दे दी थी कि इन्हीं किस्मों के आलुओं की खरीद होगी ? यदि नहीं दी थी, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, उद्यान विभाग की ओर से निरन्तर प्रचार किया जाता रहा है और उत्तम किस्म के बीज की जिनकी मैंने चर्चा की है, जिनको नेफेड खरीद रहा है, उसके उत्पादन म भी वृद्धि कर रहे हैं और मैंने हैंडबिल्स के जरिए प्रचार कराया है कि 1645 प्रकार का आलू न बोया जाय जोकि प्रायः फर्रुखाबाद मे बोया जाता है, जिसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि आपने आलू की खरीद कराने का निश्चय तो किया परन्तु जो आपके सरकारी कर्मचारी थे, खरीद करने वाले उन्होंने कोई विधिवत् सूचना न दे कर, जिससे मालूम ही नहीं हो पाया कि आलू की खरीद कब शुरू होगी, जो स्वार्थी लोग थे मुट्ठी भर उनसे ही आलू खरीदना शुरू कर दिया, इसकी जांच करायेंगे ? दूसरे बावजूद इसके कि आपने थोड़ी सी खरीदारी करायी है, परन्तु प्रदेश में आलू की पैदावार बहुत ज्यादा है, तो आम, आलू उत्पादक को कोई राहत नहीं पहुंची, वह आज भी गरीब का गरीब है उसकी पिछली फसल भी इसी तरीके से गयी और यह फसल भी इसी तरह से गयी, तो क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके आलू का सही मूल्य निर्धारित कराने के लिए कोई कोशिश करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय सदस्य की सूचना मेरे अनुसार बहुत सही नहीं है। कई बार यह सूचना प्रेस कान्फ्रेन्स कर के मैंने दी और समाचार-पत्रों में निकलवाया। इतनी खरीदारी इन दो संस्थाओं के माध्यम से हम करा चुके हैं, इनके अतिरिक्त एक हिन्दुस्तान मोनावर्स लि0 है, वह 12 हजार क्विन्टल खरीद चुका है। एक और नरेश कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद का है, उसको इजाजत दिलवायी है। अगर वह भी खरीदना चाहते हैं, तो वह भी खरीदें। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल उत्तर प्रदेश 30 हजार टन आलू खरीदने की इच्छुक है, लेकिन जो एक्सपोर्ट आलू का होगा वह अगर आप चन्द्रमुखी मिलिटरी, शीतमान और कुफरी बहार, इन किस्मों के आलू उपलब्ध करा सकें तो 30 हजार टन एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, उत्तर प्रदेश खरीदने के लिए तैयार हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताएगी कि प्राइस सपोर्ट पालिसी के अन्तर्गत सभी प्रकार के आलू खरीद करने में या कराने में क्या कठिनाई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप हर किस्म का आलू क्यों नहीं खरीदते ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्राइस सपोर्ट पालिसी के आधार पर भारत सरकार के प्रयास से आलू की खरीदारी करायी गयी है और करायी जा रही है । 1645 किस्म का आलू फर्रुखाबाद में पैदा होता है। ज्यों-ज्यों गरमी बढ़ती जाती है, कुछ आलू खराब होने लगता है। हमने प्रमाण-पत्र दिलवा दिए हैं, यदि वह ठीक रहता है, तो आगे उसकी खरीदारी भी हो सकती है।

*32—श्री बांके लाल—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पकड़े गये गबन के मामले

*33—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में उनके विभाग के सतर्कता सेल ने उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम में कितने मामले और कितनी-कितनी धनराशि के गबन के पकड़े हैं ? दोषी व्यक्ति को अब तक क्या दन्ड दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत कोई सतर्कता सेल नहीं है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को सुपुर्द करने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी की नियुक्ति निगम में दिनांक 18 सितम्बर, 1973 से की गई है। मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के अतिरिक्त निगम की कार्यशालओं भंडारों एवं बस स्टेशनों का आकस्मिक निरीक्षण करना भी है।

चालू वित्तीय वर्ष में मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकार के निरीक्षण के फलस्वरूप रु0 6, 78.37 पैसे तथा लगभग रु0 70,000 के गबन के मामले क्रमश : देहरादून तथा लखनऊ में सामने आए हैं।

देहरादून के कोषाध्यक्ष द्वारा गबन की गई धनराशि जमा कर दिय जाने के कारण उसके विरुद्ध केवल विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग डिपो में गबन की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी गई थी। गबन में सम्बन्धित दोनों कोषाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तथा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । साथ ही सम्बन्धित यातायात स्टेशन अधीक्षक तथा जूनियर स्टेशन इन्चार्ज को भी कर्त्तव्य पालन में असावधानी के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह गबन किस तारीख को पकड़ा गया तथा किस तारीख को गबन की धनराशि जमा की गयी ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

तारीखों की सूचना बाद को दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

श्रीमन्, यह तो जरूरी है क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि कितने दिन रुपया पड़ा रहा। तो क्या सूचना दोबारा मंगा कर माननीय मन्त्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

ज्योंही पूरी कार्यवाही हो जायेगी, माननीय सदस्य को बतला दिया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

इसको मान्यवर, स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष —

यह अगले मंगलवार तक के लिए स्थगित किया जाता है। पूरी तैयारी करके आप आयें।

कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स की सेवाओं को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन के अधीन किये जाने के निर्णय

*34—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स की सेवायें अब प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ण रूप-रेखा क्या है ?

श्री विजय कुमार—

जी हां।

इसकी पूर्ण रूप-रेखा सहकारिता अनुभाग-2 के शासकीय विज्ञप्ति संख्या सी-262/12-सी-76, दिनांक 13 फरवरी, 1976 में दी गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 693-694 पर।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसमें बड़ा खर्चा होने वाला था, लेकिन जो कदम हमने उठाया है, वह उसी दिशा में एक कदम है। बाकी भी कार्यवाही की जा रही है। कुछ लोगों को सेन्ट्रालाइज्ड कर दिया है, बाकी को करने जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

आपने प्रान्तीयकरण तो कर दिया मगर इन पर जिला सहकारी बैंकों का कोई नियन्त्रण नहीं है, तो उनके नियन्त्रण में रखने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जिन लोगों ने यह आप्ट किया है कि हम इसमें आयेंगे वे लोग आ गये और सहकारी बैंकों में चले गए, उनके नियन्त्रण में हैं। कुछ लोगों ने यहां आना पसन्द नहीं किया, वे यूनियन में ही रहे। इस तरह दो तरह के सुपरवाइजर्स हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या जो कोआपरेटिव बैंक अपने स्वयं सुपरवाइजर रखने जा रहे हैं, वे रख सकते हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अपने आप नहीं रख सकते हैं। जिन लोगों ने वहां की सेवा को आप्ट कर लिया है, वे उनके अन्डर में हैं। यह भी मांग है कि उनका भी प्रान्तीयकरण कर दिया जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सरकार का नियन्त्रण न होने से इन लोगों में काफी भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपयों का घपला है। तो सरकारी घोषित करने में सरकार को दिक्कत क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर पढ़ा नहीं है। पढ़ते तो शायद यह प्रश्न न करते। जो कार्यवाही की गयी है वह नियन्त्रण में रखने के लिए ही तो है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कोआपरेटिव बैंक का उनके ऊपर नियन्त्रण रहेगा। जब एप्वाइंटिंग अथारिटी एक्सपेक्स बाडी हैं, तो कोआपरेटिव बैंक उनको निकाल तो सकता नहीं है और इस तरह से जब वह एप्वाइन्टिंग अथारिटी नहीं है, तो फिर उनके ऊपर

कोआपरेटिव बैंक का क्या नियन्त्रण रहेगा ? क्या माननीय मन्त्री जी मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे कि जो बैंक स्वयं अपना कोआपरेटिव सुपरवाइजर एप्वाइन्ट करना चाहते हैं, उनको एप्वाइन्ट करने का अधिकार देने के लिए वे तैयार होंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

असल बात यह है कि हमारे यहां पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही एक सेवा मन्डल बना हुआ, जो इनका रिक्रूटमेन्ट करता है। आज की स्थिति यह है कि वे डिस्ट्रिक्ट बैंक के अधीन हैं। यद्यपि उसके खिलाफ शिकायत है लेकिन आज स्थिति यह है कि कुछ बैंक के अन्दर जो चलते हैं, वे उनके पूर्ण नियन्त्रण में हैं। उनको बैंक निकाल सकता है। मांग यह है कि सेन्ट्रल एपेक्स बाडी बना दिया जाय, जैसा कि श्री असरार अहमद साहब चाहते हैं। उनको जो तकलीफ है, उसी की तरफ यह एक कदम है। पहले वे किसी के नियन्त्रण में नहीं थे। एक कमेटी बना दी गयी है। और वे उनके पूर्ण नियन्त्रण में हैं। यह आर्डर जो है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको वह शिकायत नही रहेगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इस तरह का घपला बराबर रहेगा। मैं कहता हूं कि सरकार को क्या मुसीबत और दिक्कत है, अगर उनको सरकारी नौकर घोषित कर दिया जाय, बजाय इसके कि कोई किसी बैंक से ताल्लुक रखे, कोई किसी और संस्था से ताल्लक रखे और सरकार के करोड़ों, अरबों रुपए का घपला होता रहे ? 29 वर्ष का तजुर्बा भी हो चुका है फिर भी सरकार उनको अपने नियन्त्रण में क्यों नहीं रखती ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका सुझाव है। वे जवाब दे चुके हैं। अब प्रश्न समाप्त हुए। जो पहले बाकी रह गए हैं, उनको मैं फिर से ले रहा हूं।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री अनवार जमील--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

कस्बा भिनगा, जिला बहइराच में सहकारी कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की मांग

2--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री महोदय यह कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने निजी कोल्ड स्टोरेजों के मालिकों को सहायता देने तथा सहकारी क्षेत्र में नये कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बहराइच जिले के भिनगा कस्बा में जहां मुख्यतया प्रचुर मात्रा में आलू, प्याज होता है, एक सहकारी कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सहकारी क्षेत्र में नए कोल्ड स्टोरेज बनवाए जा रहे हैं। जहां तक बहराइच जिले में भिनगा कस्बे में सहकारी कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रश्न है कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

3--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

4--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों में कृषि विभाग द्वारा उर्वरक के वितरण में कथित धांधली

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के विकास खण्ड सिरसिया, हरिहरपुर, रानी इकौना एवं गिलौला में कृषि विभाग से मार्च, 1974 से फरवरी, 1975 तक कितना उर्वरक वितरण हेतु दिया गया और वितरण धांधली के बारे में कितनी शिकायतें मिलीं और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मार्च, 1974 से फरवरी, 1975 के मध्य कृषि विभाग द्वारा विकास खंड सिरसिया को 34.728 मी0टन, हरिहरपुर रानी को 55.838 मी0टन, इकौना को 82,323 मी0 टन तथा गिलौला को 75.095 मी0 टन उर्वरक वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

उर्वरक वितरण में धांधली विषयक केवल एक शिकायती प्रार्थना-पत्र विकास खंड सिरसिया निवासी, श्री ईश्वरी प्रसाद आदि का प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई तथा शिकायती प्रार्थना-पत्र में लिखित तथ्य निराधार पाये गये।

6—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

7—श्री बाबू लाल वर्मा—

[6ठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

जिला नियोजन अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहने की अवधि

8—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा) —

क्या पंचायत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने डी0 पी0 ओ0 व पंचायत राज्य अधिकारी हैं जिनको एक ही जिले में 3 साल से अधिक हो चुके हैं और ऐसा क्यों है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

प्रश्न की तिथि (4–10–75) को दो जिला नियोजन अधिकारियों तथा 7 जिला पंचायत राज अधिकारियों को एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। जनहित में इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

9-10—श्री ऊदल—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3–4 पर स्थानान्तरित।]

गोंडा व बहराइच जिलों के कृषि विभाग के अमीनों एवं चपरासियों की सेवा समाप्ति

11—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जून, 1975 से 10 सितम्बर, 1975 के बीच गोन्डा व बहराइच जिलों के कृषि विभाग के कितने अमीन व चपरासी निकाले गये ? इन्हें नौकरी से निकालने के क्या कारण थे ? क्या सरका उन्हें पुनः काम पर बुलाने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

1 जून, 1975 से 10 सितम्बर, 1975 के बीच गोन्डा व बहराइच जिलों के कृषि विभाग के 391 अमीन व चपरासी सेवा मुक्त किये गये।

इनमें से तीन को वसूली में गड़बड़ी करने तथा शेष 388 पदों की आवश्यकता न होने के कारण सेवा मुक्त किया गया।

कृषि विभाग में इनकी पुनः नियुक्ति की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

आलू का पाउडर बनाने हेतु कारखाने की स्थापना की मांग

12—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आलू का पाउडर बनाने के कारखाने खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो वें कारखाने कहां-कहां और कब तक खोले जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं।

13—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्र

14—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1975-76 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जनपद आजमगढ़ में 1975-76 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 57 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें 31 समितियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 10 आपत्ति के साथ वापस किय गय तथा 16 विभागीय जांच में हैं ?

15—श्री श्रीनारायण—

[3रें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

16—श्री श्रीनारायण—

[3रें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

17—श्री श्रीनारायण—

[3रें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले में क्रश प्रोग्राम के अन्तर्गत कथित आबंटित धनराशि

18—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितना रुपये 1974 से अब तक दिया गया और उनका उपयोग कहां-कहां किया गया ?

श्री राम जी लाल सहायक—

बहराइच जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1974 के प्रारम्भ से अब तक कोई धन नहीं दिया गया। अत : उसके उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

19—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

20—श्री श्रीनारायण—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

सदस्य के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक जनसंघ के सदस्य आपको लिख कर दिये हैं तो मैं जानकारी चाहता हूं कि वह क्या निर्दलीय हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

लिखकर दिया है तो 3 दिन के बाद होगा।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, 3 दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

जब मद 5 पर आवे, तब दें।

अभी तो सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1974–75) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा (षष्टम विधान सभा) का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

उक्त प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 141(2) के अन्तर्गत उक्त लेखे भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को दिनांक 14 सितम्बर, 1972 को प्रस्तुत किए गये थे तथा दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 को विधान मन्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए थे। दिनांक 9 अक्तूबर, 1974 को लोक लेखा समिति द्वारा सदन के संकल्प दिनांक 7 जून, 1974 के अधीन राज्य विद्युत् परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेदों को वर्ष 1974-75 के लिए गठित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति को सुपुर्द किया गया और उसने अपनी दिनांक 11, 12, 18, 19, 20 व 21 नवम्बर तथा 5 व 13 दिसम्बर, 1974 की बैठकों में इसके विभिन्न प्रस्तरों पर विचार किया एवं शासन के विद्युत् विभाग के सचिव तथा राज्य विद्युत् परिषद् के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए। प्रतिवेदन में राज्य विद्युत् परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेद में से अनुच्छेद 112(क) के सम्बन्ध में समिति का "विशेष प्रतिवेदन" मैं अलग से प्रस्तुत कर चुका हूं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 9, 10, 23 व 24 जुलाई तथा 18 व 19 अगस्त, 1975 की बैठकों में स्वीकृत किया गया।

समिति को दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लेखा परीक्षा में उल्लिखित आपत्तियों का उत्तर विद्युत् परिषद् द्वारा महालेखाकार को नहीं प्रस्तुत किया जाता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार एवं परिषद् द्वारा विभिन्न तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन में बहुत अधिक समय लग जाता है। इस सम्बन्ध में हमारी लोक लेखा समिति सदैव से ही सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है, अतः उसे कहां तक दोहराया जाय, किन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि परिषद् उन आंकड़ों की जांच और महालेखाकार की आपत्तियों का प्रारम्भिक स्तर पर ही निस्तारण करने का प्रयत्न करता और उनके उत्तर समय से देने की चेष्टा करता अथवा शासन द्वारा समय-समय पर परिषद् से आग्रह ही किया गया होता तो समिति का भी समय बच सकता था और उसे सखेद अपनी टीका न करनी पड़ती।

---

† छापा नहीं गया।

[श्री श्रीशचन्द्र]

समिति अपने इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए अपना क्षोभ व्यक्त करती है कि आडिट आपत्तियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या को देखकर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि परिषद् के अधिकारी न तो आडिट आपत्तियों के महत्व को समझते हैं और न उन आलोचनाओं के निराकरण में ही दिलचस्पी रखते हैं जो उनसे स्पष्टत : अपेक्षित है। समिति आशा करती है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि प्रतिवेदन में सन्निहित संस्तुतियां शब्द और अर्थ दोनों मे लागू की जावेंगी।

अन्त में समिति के कार्य को सुगम तथा कुशल बनाने हेतु अतिरिक्त महालेखाकार श्री आर0 के0 गांगुली द्वारा बहुमूल्य सूचनाओं के उपलब्ध कराने के लिए उन्हे मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस प्रतिवेदन के तैयार कराने में सचिव, विधान सभा का पूर्ण सहयोग मिला है जिसके लिए मैं समिति की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन को तैयार करने मे समिति अधिकारी तथा समिति के कर्मचारियों ने हमें अपना-अपना योगदान दिया है, जिनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। प्रतिवेदन के मुद्रण में प्रेस ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 112(क) के अन्तर्गत मैंने 9 अगस्त, 1975 को विशेष प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस प्रतिवेदन के तयार करने में माननीय रमेन्द्र वर्मा जो कि अब विद्युत् राज्य मन्त्री हैं, का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन अभी तक उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही आरम्भ की जाय।

श्री केशरी लाल द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे अब इस सदन को यह सूचित करना है कि विधान सभा के माननीय सदस्य श्री केशरी लाल ने विधान सभा में अपने दल परिवर्तन की सूचना दी है और अब वे भारतीय लोक दल छोड़कर निर्दल हो गये हैं। मेरे पास लिखित सूचना आई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

आपने भारतीय लोक दल कहा। अखबारों में यह छपा है कि वह लोक पक्ष बन गया है।

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी, समाचारपत्रों मे मैं भी यही पढ़ता हूं। कोई सूचना लिखित नहीं आई है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

समाचार-पत्रों से क्या आपको कोई नफरत है ?

श्री अध्यक्ष—

समाचार-पत्रों में मेरी उतनी रुचि है जितनी गैरोला जी की है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओ को समाचार-पत्रों का अवलोकन करने का सम्मोह रहता है और मुझे भी है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

इसका निर्देश हमें भी दे दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, राजासाहब सिगरामऊ भी निर्दलीय हो गए हैं। क्या आपको इस बात की भी कोई सूचना मिली है, अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मुझको इस प्रकार की अगर कोई सूचना मिलती है तो मैं उसको तीन दिन के बाद घोषित करता हूं। आप धैर्य रखें अगर ऐसी कोई सूचना होगी तो वह आपको तीन दिन बीतने पर मालूम हो जाएगी। धैर्य न छोड़ें।

परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों का फरवरी माह का वेतन न मिलने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में श्री पुरुषोत्तम कौशिक द्वारा दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मन्त्री का वक्तव्य होगा।

चिकित्सा राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

यद्यपि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है परन्तु यह प्रदेश परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति म काफी पीछे हैं। भारत सरकार ने इस प्रदेश के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 के लिए 1,75,000 नसबन्दी, 2,91,000 लूप निवेशन तथा 3,32,000 गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता के लक्ष्य निर्धारित किए थे और इन लक्ष्यों के विपरीत जनवरी, 1976 तक क्रमश : 60,199 नसबंदी, 1,11,743 लूप निवेशन तथा 2,25,220 गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता की उपलब्धियां ही प्राप्त हो सकीं। अत : इस कार्यक्रम में तीव्रता लाए जाने के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों की भांति इस प्रदेश में भी परिवार नियोजन विभाग के अतिरिक्त शासन के अन्य विभागों का भी सहयोग प्राप्त करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है तथा अन्य विभागों के लिए भी परिवार नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस प्रदेश में भी फरवरी और मार्च के महीनों को परिवार नियोजन माह के रूप में मनाया जा रहा है। चूंकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यह प्रदेश काफी पीछे है, अत: इन दो महीनों में कार्य-क्रम को अधिक तेजी से चलाए जाने का निर्णय लिया गया ताकि 31 मार्च, 1976 के अन्त तक हम अपने वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। इसी उद्देश्य से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अतिरिक्त अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं और उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए गए थे कि उन्हें फरवरी माह का वेतन का भुगतान तभी किया जाय जब वे उन्हें दिए गए निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लें। इससे काम में काफी तीव्रता आई है और अब तक प्रदेश के 44 जिलों की जो सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि मार्च के तीसरे सप्ताह की समाप्ति पर 91,705 नसबन्दी (पुरुष 31,118, महिला 60,587) हो चुकी हैं। अब कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन तुरन्त भुगतान करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) —

फरवरी माह के वेतन के अलावा कर्मचारियों के मार्च तथा अप्रैल के वेतन को रोक देने के बारे में धमकी दी गयी है। होली ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार वेतन उपलब्ध कराती थी लेकिन इस बार उपलब्ध नहीं हुआ और राष्ट्रीय त्योहर फीका रहा ?

श्री अध्यक्ष—

फरवरी माह के बारे में तो जवाब आ चुका है। विधान सभा मई तक चलेगी। मार्च तथा अप्रैल का वेतन रुक जाय तो मई में आप सवाल उठा सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जनसंख्या पर अंकुश लगाने का जहां तक सम्बन्ध है हमारा सरकार के साथ पूरा सहयोग है लेकिन विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोकना कहां तक उचित है ?

(उत्तर के लिए माननीय मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

क्या मन्त्री महोदय ने इसका सर्वे कराया कि माननीय विधायकगण जिन पर सारी जिम्मेदारी है नीति को चलाने की, उनमें से कितने प्रतिशत विधायकों ने नसबन्दी कराई है और नहीं कराई है तो आपने अब तक क्या कदम उठाया है ?

श्री रामायण राय--

अब तक केवल परस्वेड करते रहे हैं। माननीय सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त हुआ है और आशा है कि हमारा परस्वेशन ऐसा प्रभावशाली होगा कि सदन के लिए कोई बाध्यता करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

सरकारी कर्मचारियों का तो वेतन रोक दिया गया जब कि मन्त्रि-मण्डल के कतिपय सदस्यों के एक-एक दर्जन बच्चे हैं तो क्या उनके लिए यह नियम लागू किया जायगा कि अगर वह नसबन्दी नहीं करायेंगे तो उनका वेतन रोक दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका काल्पनिक प्रश्न है।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

भविष्य में माननीय मन्त्रिगण अपनी नसबन्दी करायेंगे, इसके लिए आप कोई हिदायत देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई हिदायत नहीं देने जा रहा हूं।

न्याय एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)--

जहां तक इस प्रदेश के नागरिक, सदस्यगण तथा मन्त्रि परिषद् के सदस्यों का सम्बन्ध है, उनमें सरकार की कोई भेदभाव की नीति बरतने की मंशा नहीं है। जहां तक इन्सेंटिव और डिसइंसेंटिव की स्कीम परिवार नियोजन के सम्बन्ध में है उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

स्वास्थ्य मन्त्री न्याय मन्त्री भी हैं तो वसबन्दी के मामले में अन्य बन्दियों के विपरीत बन्दी प्रत्यक्षीकरण की सुविधा भी रहेगी या नहीं ?

(हंसी)

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)--

सरकार परिवार नियोजन पर अपना असर डाल रही है तो इस विधान सभा में अध्यक्ष से लेकर मन्त्रि-परिषद् तक और सभी विधायकगण ने अपना स्वयं अथवा उनकी पत्नियों ने परिवार नियोजन कराया है ? समय-समय पर इस तरह की पुस्तक छपे जैसे कि विधान सभा सदस्यों की छपती है उससे जनता में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं अपनी तरफ से सूचित करना चाहता हूं कि मेरे एक पुत्र था, लेकिन उसकी कारुणिक परिस्थिति में मृत्यु हो गई। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र दे तो वह जिन्दा रहे। भगवान की कृपा से दूसरा पुत्र पैदा हुआ जो जिन्दा है। तो मेरे एक ही पुत्र है। मैं अपनी तरफ से आत्म संयम में, गांधी जी के दिखाए रास्ते पर विश्वास करता हूं, इस मामले में।

श्री रुद्र प्रसाद--

श्रीमन्, आपकी तरह से अन्य मन्त्री भी स्पटीकरण देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

संसार का इतिहास बल, उदाहरण और प्रचार से बना है। बल-पाशविक बल, सत्याग्रह का बल, कानून का बल ये सब बल हैं, दूसरा प्रचार का बल और तीसरा उदाहरण का बल। यह प्रचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जिससे मैं इस मामले में प्रभावी मानता हूं। आपने परिवार नियोजन में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। अगर आप लोग यह बताते तो इसे बाद में लेते।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि फरवरी का वेतन कर्मचारियों को दे दिया गया है। तो क्या मार्च का वेतन देने का भी निर्देश दे दिया गया है ?

श्री रुद्र प्रसाद—

इस पर चर्चा कर ली जाय ?

श्री अध्यक्ष —

माननीय मन्त्री जी यह परिवार नियोजन पर प्रश्न नहीं है यह मात्र सम्बद्ध अधिकारियों को फरवरी माह का वेतन देने का निर्देश देने से सम्बद्ध है। तो माननीय गंगवार जी से पूछा है कि मार्च के लिए भी वेतन दे देने का आदेश दे दिया गया है क्योंकि दो दिन बाद पहली तारीख आएगी।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, फरवरी का वेतन तो दे दिया है। मार्च का वेतन रोकने का प्रश्न ही नहीं है जैसे फरवरी में वेतन मिल रहा है वैसे ही मिलेगा। प्रश्न यह था कि एक जो अवरोध था वह कुछ हद तक दूर हो गया है। हम इसमें बहुत आगे बढ़े हैं पिछले दो महीनों में एक लाख स्टैरेलाइजेशन के केस प्राप्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

वित्त तथा भारी उद्योग राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीजुर्रहमान—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को पुरः-स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 695 702 पर।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्य-वाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 703–704 पर।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 705-713 पर।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने तहसील सम्भल, शहर व जिला मुरादाबाद में तथाकथित साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप शहर में आगजनी की घटनाओं और आतंक के वातावरण के बारे में सूचना दी है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी स्वयं बयान दे दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है....

श्री अध्यक्ष—

बैठिए मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं साम्प्रदायिक दंगे हुए, किन्तु अगर कहीं ऐसी बात हुई है तो वह अवश्य बयान दे दें। कब यह दंगे हुए ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

29 फरवरी को हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

सूचना में आगे है कि वहां दंगे के फलस्वरूप हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गए। यदि यह सत्य है तो महत्वपूर्ण है और सत्य से परे है तो भी इस पर बयान देना चाहिए । अपनी तरफ से बयान शासन इस पर दे। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है।

1976-77 के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीने में "1976-77 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण में, जो 26 मार्च, 1976 को सदन में प्रस्तुत किया गया था, पृष्ठ 1-5 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,26,77,95,000 रुपए से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीने में "1976-77 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण में, जो 26 मार्च, 1976 को सदन में प्रस्तुत किया गया था, पृष्ठ- 1-5 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,26,77,95,000 रुपए से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब पहले विधेयक की प्रतियां बंट जाने दें।

(कुछ रुक कर)

इसकी प्रति नहीं आयी है, इसलिए इसको स्थगित करना पड़ेगा। हम आगे चलते है। प्रतियां आ जायगी तो फिर इसको लेंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976†

न्याय मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक को लाने का कारण इस वजह से आ पड़ा कि हाई कोर्ट में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसके कारण न्याय की व्यवस्था ठीक तरह से चलाने में दिक्कत की स्थिति आई। नई सी आर0 पी0 सी0 की धारा 25 में यह बात कही गयी है कि कोई पुलिस अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक नहीं होगा। स्थिति इस समय यह है कि कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नहीं है। लेकिन उसी के साथ-साथ हाई कोर्ट ने यह फसला

---

†24 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री प्रभु नारायण]

कर दिया कि पुलिस विभाग, पुलिस कर्मचारी, कोई भी पुलिस अफसर जो वह सहायक अभियोजक होगा उसके ऊपर कार्य निरीक्षण का कार्य नहीं कर सकता है। इसकी वजह से मुकदमों की दिक्कत बहुत ही पड़ गयी है। उसमें डिपार्टमेंट के सामने, गृह विभाग के सामने काफी दिक्कतें इस सम्बन्ध में पड़ गयी हैं। इस वजह से इसके खिलाफ इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी कि प्रशासनिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक नियन्त्रण जो है, वह कायम रखने की बात है। जब तक यह काम नहीं होगा तब तक क्रिमिनल केसेज में ठीक तरह से तैयारी होना, ठीक तरह से निर्णय होना, ठीक तरह से अपराधियों को सजा दिलाना मुश्किल कार्य हो जायगा।

इसी के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने नई सी आर0 पी0 सी0 की धारा 11 और 13 को देखते हुए यह भी निर्णय कर दिया कि जो विशेष न्यायालय के सृजन की बात है वह एक जिले में एक न्यायालय होगा, लेकिन ट्रान्सपोर्ट के केसेज, रेलवे के केसेज, कैनाल के केसेज और बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनको एक साथ लिंक किया जा सकता है। रीजन के लोगों को एक स्थान पर बुलाया जा सकता है। ऐसी दशा में हम यह तब्दीली करना चाहते हैं कि एक से अधिक जिलो में एक विशेष न्यायालय सृजित किया जा सके। इससे काफी केसेज का ठीक तरह से डिसपोजल करने मे आसानी होगी। इसके साथ ही साथ व्यय भी कम पड़ेगा। यह नया संशोधन विधेयक लाना था इसलिए इसको देखते हुए कि कार्य ठीक तरह से चले न्यायालयों के कार्य में जो दिक्कत होती थी वह न हो।

मन्यवर, मैं यहां पर यह भी आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि धारा 13 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इसका कारण यह है कि बहुत से केसेज जो लोक सेवा से सम्बन्धित थे उनका स्थानान्तरण हाई कोर्ट को हो गया है, उनकी संख्या 5 लाख हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

कितनी हो गई है ?

श्री प्रभुनारायण—

5 लाख हो गयी है। नए सब्सटेन्टिव ऐक्ट के मुताबिक सभी केसेज हाई कोर्ट चले गए हैं। चीफ जुडीशियल तथा जिन लोगों को जुडीशियरी का ज्ञान है और अनुभव है उनकी नियुक्ति आनरेरियम देकर करना चाहते हैं। इसलिए जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट थे उनको प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाने की व्यवस्था है। विधेयक को लाने का कारण यह भी है कि जिन मामलों के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि वे कहां पर हों तो उसके सम्बंध में जज को सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन इस विधेयक से अब जज को इस तरह की कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी और वह जहां पर चाहे वहां पर मुकदमा निर्णीत कर सकता है। मान्यवर, इस विधेयक के द्वारा मैं यह भी बताना चाहता हूं जो एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविजन था कि जो लोग जुर्म करते थे और जुर्म करने के बाद कोर्ट के सामने हाजिर होने के पहले ही एन्टीसिपेटरी बेल करा लेते थे और जो मुकदमा की जांच होती थी उसमें दिक्कत पड़ती थी और न्याय नहीं हो पाता था। उस प्राविजन को नए सी आर0 पी0 सी0 से निकाला जा रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर सदन को दे, तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, अगर अन्तरिम काल के लिए यह कानून आता तो मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने न रखता। नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना। यह बहुत बड़े-बड़े जो कानून के

पंडित हैं, उन्होंने मंथन करके, ला कमीशन ने कुछ सिफारिशें कीं और बहुत दिनों तक एमेंडमेंट विचाराधीन रहे और बाद में ला कमीशन की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र ने सी आर० पी० सी० को पूरी तरह से एमेन्ड कर दिया। कमीशन की सिफारिश थी कि सहायक लोक अभियोजकों पर किसी पुलिस महकमें का अधिकार नहीं होगा। पुलिस का कोई नियन्त्रण नहीं होगा। तो इसके पीछे एक सिद्धान्त निहित है और वह सिद्धान्त यह है कि पूरे जुडिशियल सिस्टम को, न्यायिक व्यवस्था को, एक्जीक्यूटिव से अलग रखा है। चाहे वकील हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पब्लिक प्रोसीक्यूटर हो या न्यायालय के अधिकारी ह। न्यायिक दृष्टि से ही प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है और अभियुक्त का बचाव किया जा सकता है। यह परम्परा बहुत से देशों में चली आ रही है और हमारे ला कमीशन ने इसे स्वीकार किया है।

अदालतों में पुलिस पचासों हथकन्डे इस्तेमाल करती है। परेशान करना है तो छोटे-मोटे मुकदमें चलवा सकती है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर जिले के एस० पी० के अन्डर में काम करता है, उसकी नौकरी, उसकी तरक्की उसी कप्तान पुलिस पर निर्भर करती है। जब चाहे वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर से प्रोसीक्यूशन करवा सकता है या चार्ज शीट पेश करवा सकते हैं। इसलिए यह प्राविधान रखा गया है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर की एजेन्सी को इन्डीपेन्डेन्ट रहना चाहिए जिस प्रकार से डी० जी० सी० एक्जीक्यूटिव के अन्डर में नहीं है उसी प्रकार से पब्लिक प्रौसीक्यूटर को भी रखा जाय। हाई कोर्ट का फैसला सही है कि इनके ऊपर पुलिस या एक्जीक्यूटिव का कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिये। आपने अपनी सुविधानुसार एमेंडमेंट पेश कर दिया और उसके द्वारा आज उत्तर प्रदेश की सरकार, ला कमीशन की उस बुनियादी सिफारिश को जिसे केन्द्रीय सरकार ने और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सभी स्टेट्स ने मान लिया है, ठुकरा रही है। इस विधेयक के द्वारा आप स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स की और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर उन व्यक्तियों को देंगे जो कि रिटायर हो चुके हैं और अपाहिज हो चुके हैं नौकरियों में जो आपके यहां डिप्टी कलेक्टर आदि पदों पर थे। आपके यहां पर इतने ला ग्रेजूएट्स पड़े हुए हैं। आप लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं करते हैं? आप प्रदेश में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के नए पदों का सृजन क्यों नहीं करवाते थे? यह भी सही है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को हाई कोर्ट के अन्डर में दिया हुआ है। उसके लिए भी ला कमीशन की सिफारिश थी। उसके लिए तो यह है कि अगर आपके यहां कोर्ट केसेज का एरियर इक्ट्ठा हो रहा है तो आप नए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की भर्ती कीजिए। इससे प्रदेश के बकार ला ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलेगी। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको आप भर्ती करेंगे और जो नौजवान डबल ग्रेजुएशन कर के सड़कों पर फटीचर घूम रहे हैं उनको नौकरी नहीं देना चाहते।

तीसरे, एन्टीसिपेटरी बेल की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ही यह क्यों लायी, कोई अन्य राज्य इस संशोधन को नहीं लाया? जब तक सी आर० पी० सी० अमेंड नहीं हुआ था उससे पहले भी बहुत से हाई कोर्ट्स का यह फैसला था कि एन्टीसिपेटरी बेल बावजूद इसके कि पुरान सी आर० पी सी० में उसके लिये कोई प्राविधान नहीं था, उन्होंने एन्टीसिपेटरी बेल स्वीकार की। आज इमरजेन्सी में आपके पास ऐसे बहुत से कानून मौजूद हैं कि जिनको आप समझते हैं कि शान्ति और व्यवस्था के लिए खतरा है उनको उसमें बन्द कर सकते हैं और उनकी जमानत नहीं हो सकती। लेकिन अब आप हमेशा के लिए सी आर० पी० सी० में यह प्राविधान रखना चाहते हैं कि किसी भी आदमी को अदालत में पहले से ही अपनी जमानत कराने का अख्तियार नहीं है। यह मैं समझता हूं कि नागरिक अधिकारों पर बहुत बड़ी चोट है। अगर पुलिस को किसी को फंसाना होगा तो 392 या 302 लगा देगी और उसके बाद रिमान्ड के लिए दरख्वास्त दे कर हवालात में उसकी खूब पिटाई करेगी। यह तो पुराने गलत हथकन्डों से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ला कमीशन द्वारा यह सुझाव रखा गया था। अब इसको निकाला जा रहा है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनके कारण आपको यह संशोधन करना पड़ा।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

चौथे, न्यायालय को अधिकार दे दिया कि जहां चाहे वहां अपनी अदालत लगाए । इसका मतलब यह होगा कि अब अदालतें कचहरियों में नहीं लगेगी बल्कि जेलखानों में जेलर के दफ्तर में लगेंगी । और कौन लगाएगा ? यही स्पेशल मैजिस्ट्रेट लगायेंगे ।

तो मेरा तो केवल इतना ही नि ेदन है कि कृपा करके वह कारण बतायें जिनके कारण ला कमीशन की जो बुनियादी सिफारिशें थीं उनको आप निगेट करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें जल्दबाजी न करें, दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनवा दें । उसमें इन तमाम चीजों पर विस्तार से विचार हो जायगा और उत्तर प्रदेश में भी हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था कर सकेंगे जिसकी ला कमीशन ने कल्पना की थी ।

श्री अध्यक्ष---

(श्री त्रिवेणी सहाय के खड़े होने पर) अब आप अपना भाषण दें । संशोधन रखने के लिए तो आप आए नहीं समय से ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

आप पूछिए कि कहां से आए?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बहुत आसान सवाल है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर । जब ये उस समय अनुपस्थित थे तो क्या पुन : बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष ---

अपनी राय देने के लिए तो सक्षम हैं । संशोधन के लिए अगर वह अनुमति लेते तो दूसरी बात थी ।

*श्री त्रिवेणी सहाय---

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं उस समय नहीं था । मैं माननीय नेगी जी के भाषण का समर्थन करता हूं । अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाए सी आर0 पी0 सी0 या आई0 पी0 सी0 वे एक तरह से बेसिक कानून बन गए । जो भी नयी सरकारें आईं उन्होंने उसमें कुछ संशोधन किए । कुछ नए कानून बनाए । मगर 25 वर्षों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ । एक बार कोशिश की गयी और सी आर0 पी0 सी0 में कुछ चेन्ज किया गया, मगर कुछ दिन बाद फिर उसमें कुछ कमी की गयी । अब यह बिल जो आया है वह तो एक बहाना है, उसके पीछे मंशा कुछ और है । हाई कोर्ट के फैसले के तथा प्रशासनिक कठिनाइयों का जो कारण बताया गया है वह बहाना मात्र है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सी प्रशासनिक कठिनाइयां आ गयीं । 26 जून की आपात्कालीन घोषणा के बाद आपके सामने कठिनाइयां आने लगीं । जिन लोगों को आपने जेलों में बन्द कर दिया, आप चाहते हैं कि वे लोग कोर्ट में न आ सकें क्योंकि यदि वे जेल से कोर्ट में आयेंगे तो जनता उनको देखेगी । लोग नारे भी लगायेंगे । इसलिये अब आप ऐसा करने जा रहे हैं ताकि वे कोर्ट में न आ सकें । एक बन्द कमरे में ही उनके मुकदमों का फैसला हो जाया करे । आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी ?

सन् 1942 और सन् 1929 के आन्दोलनों के भी सारे रेकार्ड्स सरकार ने तो दिए उस समय भी इतना जुल्म नहीं किया गया था । खुली अदालत में मुकदमा सुना जाता था । आखिर जिस बहादुरी के साथ आप डी0 आई0 आर0 और मीसा में बन्द करते हैं, उसी बहादुरी के साथ उन्हें कोर्ट में आने दो, जनता को भी देखने दो, उसमें क्या आपत्ति है, आपको ? आपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले कहा था कि हमने जुडिशियरी और ऐक्जीक्यूटिव को अलग कर दिया है। मगर आज होता क्या है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डी0 एम0 के यहां से अब भी जो डायरेक्टिव जाता है उसके अनुसार वह काम करता है। जिसको डी0 एम0 कहेगा उसी को वह छोड़ेगा। यह सरकार जिस बात की दुहाई दिया करती थी कि न्याय हर एक को मिलेगा, इस तरह से क्या हर एक को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। 26 जून के बाद देश में एक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी। नयी परिस्थिति पैदा की आपने जरूर लेकिन उसी के अन्दर आपने उस चीज को भी अपने वश में कर लिया जिससे कि हमें न्याय मिलता था। एंटीसिपेटरी बेल को आपने किसी तरह से निकाल लिया। जो लोग देश भावना से प्रेरित होकर हाईकोर्ट से जाकर बेल ले सकते थे उसको भी आपने छीन लिया। डी0 आई0 आर0 के नाम पर जो लोग पकड़े गए और जब वे हाई कोर्ट आदि में जाकर एन्टीसिपेटरी बेल लेने लगे तब आपके कान खड़े हो गए और आपने सोचा कि जिस भस्मासुर को हमने बनाया था वही भस्मासुर हमारे ही कन्धे पर हाथ रखने लगा। फिर आपकी समझ में बात आयी और यह होने लगा कि किसी तरह से इस कागज को बदलो। इसी बदलो बदलो की धुन में 18-20 आर्डिनेन्स निकल गए। आर्डिनेन्स पास करने के लिये भी विधान सभा में एक प्रक्रिया है कि किस तरह से उसे पेश होना चाहिए। लेकिन सरकार न अन्धाधुन्ध तौर से 26 जून के बाद जो भी मन में आया आंख मूंद कर कर लिया और उसी की तहत यह चीज भी आयी है। जैसा कि नेगी जी ने कहा है आर0 सी0 सी0 के अन्दर आपने अधिकार ले लिया और स्पेशल मैजिस्ट्रेट बना रहे हैं। जो जो जुडिशियल आफिसर रिटायर हो गए, जिनकी गर्दन हिलती हैं या जो तहसीलदार रिटायर हो गए, उनको भी आप स्पेशल मैजिस्ट्रेट बना रहे हैं।

हमारे बहुगुणा जी जब उधर बैठते थे तो उन्होंने कहा था कि नौजवानों को डी0 एम0 होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने जब कहा था कि आपने लड़कों को डी0 एम0, एस0 पी0 बना दिया है जिनको प्रशासन का कुछ भी अनुभव नहीं है तो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व तानाशाह बहुगुणा ने कहा था कि डी0 एम0 तो हम लड़को को भी बना सकते हैं। भगवान की कृपा से वे प्रदेश से चले गए और श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का भी सरदर्द चला गया, यह सही है। उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को आगे बढ़ायेंगे। मैं कांग्रेसी एम0 एल0 एज0 से पूछना चाहता हूं कि कहां गयी वे बातें? आज न्यायपालिका में गर्दन हिलने वाले 55 साल के बाद रिटायर होने वाले लोगों को आप स्पेशल मैजिस्ट्रेट बना रहे हैं, वे क्या कर सकते हैं? हमारे नौजवान जो लखनऊ विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय से हर साल 400-500 की संख्या में ला ग्रेजुएट के रूप में निकलते हैं वे एल0 आई0 सी0 व अन्य आफिसों में नौकरी ढूंढ़ते फिरते हैं कि कहीं 400-500 रुपए माहवार की नौकरी मिल जाय, उनको आप क्यों नहीं लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा करवा कर रखते हैं? अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप इस स्कीम को लागू करने की बात सोचते लेकिन आप अपना मतलब फिट करने के लिये अपने मन के आदमियों को इन स्थानों पर बैठा रहे हैं। आप हमारी बात तो मानते ही नहीं। आपको चाहिये कि आप अपने तरीके से भी सही रूप में लोगों को यहां लावें।

एटिसिपेटरी बेल की जहां तक बात है उसे आपने खत्म कर दिया। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है कि आपने किस परिस्थिति में उसे खत्म किया। उसकी क्या आवश्यकता थी, रुक जाते, असेम्बली हो जाती, पार्लियामेन्ट हो जाती और लोगों को कुछ सोचने का मौका मिल जाता। लेकिन नहीं, आपने सोचा कि इसकी तहत कुछ लोग छूट जायेंगे। छूट भी जाते तो आपका क्या जाता? फिर जिनको आज आपने अपने जेलों में बन्द कर रखा है, क्या आप समझते हैं कि वे हमेशा आपकी जेलों में बन्द ही रहेंगे। वह कभी बाहर नहीं निकलगे और बाहर निकल जायेंगे तो आप सोचते हैं कि गड़बड़ी हो जायगी। सरकार की मंशा है कि वह बाहर न निकलें, अगर निकलेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जब हिम्मत नहीं है कि गड़बड़ी को रोक पायें तो हटिए। लेकिन आप नहीं हटेंगे। आप कानून का सहारा लेकर कि कैसे हर चीज चंगुल में आ जाय, यह चाहते हैं। जुडीशियरी जिस पर हमें गर्व था,

[श्री त्रिवेणी सहाय]

हिन्दुस्तान की जुडीशियरी जिस पर हमें नाज था, जो अलग काम कर रही थी और इसीलिए आपने देखा कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया, श्री सिन्हा ने दिया। वह क्या है ? वह खिलवाड़ नहीं है। वह यह है कि हमारी न्याय पालिका सक्षम थी, न्याय पालिका अलग थी, किसी के अंकुश में नहीं थी इसलिए प्रधान मन्त्री के खिलाफ फसला दिया। एक आदर्श कायम किया हिन्दुस्तान में, दुनियां में।

श्री अध्यक्ष—

इसी बिल पर आप आयें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, बात यह है कि इन्दिरा गांधी का नाम आ गया। जहां-जहां आएगा, इसी तरह बाई-पास करने की कोशिश की जाएगी।

तो श्रीमन्, यह है न्याय पालिका के जज की हिम्मत। लेकिन आप चाहते हैं कि हर तरह का शिकंजा लगा दिया जाय। टाइट कर दिया जाय। श्रीमन्, आज हो यही रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम हुआ है कि लोग हाई कोर्ट भी पहुचने लगे हैं। हाई कोर्ट जमानत कर दिया करता है अब हाइ कोर्ट में यह लोग पहुचने लगे हैं। कोई न छूटे, क्यों न छूटे ? शरीफ आदमी हैं तो क्यों न छूटें ? जेल में लोग बन्द हुए हैं। कितने केसेज आपके सामने हैं। लोग बन्द हुए, हैबियस कार्पस मूव कर दिया था, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। गल्ती नही दिखी, छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस मौके को हाथ से निकलना पड़ा, यह मौका भी जा रहा है। हमें आपत्ति होती है जब लोग बेगुनाह बन्द कर दिए जाते हैं। ऐसे एफ0 आई0 आर0 लाज होते हैं जिनका जवाब नहीं। ऐसा निर्णय होता है।

बहुगुणा जी ने मुख्य सचिव से कह दिया, थानेदारों को कह दिया गया मनमाने ढंग से एफ0 आई0 आर0 लिखे गए। आप देख लें डी0 आई0 आर0 में जो गिरफ्तारियां हुयी हैं, मैं चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एफ0 आई0 आर0 ऐसी नहीं है, जो स्वाभाविक हो। उनको साइक्लोस्टाइल कराया गया है। न्याय पालिका को पूरे रूप से चंगुल में करने के लिए यह कार्यवाही की गयी। क्यों की गयी ? झूठे मुकदमें कायम किए गए हैं और लोगों को जेल में बन्द किया गया है ? ब्रिटिश जमाने में झूठा मुकदमा चलता था तो धज्जियां उड़ जाती थीं। अब आपकी धज्जियां उड़ जायेंगी। कलंक का टीका होगा। वह जो झूठ मुकदमें चलाये गये हैं इनकी कोई गवाही देगा। मेरा इतना कहना है कि चेंज के बारे में कि हाई कोर्ट से कोई चेंज होता तो दिक्कत न होती, मैजिस्ट्रेटों को फर्स्ट क्लास के अधिकार दे दे हमें आपत्ति नहीं है, नियुक्त कर दें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर हर काम इसलिए करें कि हमारी जो कुर्सी है और जो हिलने वाली थीं, बरकरार रहे तो यह बहुत ही खराब भूमिका है। इसलिए मेरा कहना है कि मैं श्री नेगी साहब के प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह बिल फिर से प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य विरोध पक्ष ने जो भाषण दिया उससे कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस डन्डा लेकर आदमियों को गिरफ्तार करने जा रही है और केवल एक ही उपाय बचा है और वह है न्यायालय, परन्तु ऐसा नहीं है। मान्यवर, जो व्यवस्था केन्द्र द्वारा मूल विधेयक पारित करते समय बनाई गई लोक अभियोजक (ए0पी0पी0) को पुलिस के नियन्त्रण से हटाकर जिलाधिकारी के नियन्त्रण में दे दिया गया था। इसलिए पुलिस कन्ट्रोल समाप्त हुआ। आप कल्पना करें कि ए0 पी0 पी0 जिसका वेतन 400-500 रुपए होता है वह नियन्त्रण के बिना कितनी रुचि लेगा अपने पक्ष की। एक राज्य सरकार का पक्ष और एक अभियुक्त का पक्ष। अभियुक्त हजारों रुपया व्यय कर वकील करता है जिसका मुकाबला है इतना कम वेतन पाने वाले अभियोजक से। एक-दो साल से देखा होगा कि कितने वाद

बरबाद हुए और कितने में पैरवी न करने के कारण सरकार के विरुद्ध केस गए। आवश्यक सबूत न आने से मुल्जिम के खिलाफ आरोप होते हुए वह छूट जाते थे इसलिए डाकूमेंट लेने में दिक्कत होती थी। उसी के कारण यह तरमीम लायी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन लोकहित में है, इसलिए मै इसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, दूसरी बात एन्टीसिपेटेरी बेल की है। यह तो वास्तविकता है कि कुछ उच्च न्यायालय 1974 के कानून के पूर्व ही एन्टीसिपेटरी बेल दे रहे थे। उसका एक कारण था कि कभी-कभी किसी भ्रम के कारण वारन्ट जारी हो जाते थे उससे बचने के लिए जो बेकसूर हैं उनको हवालात में भेजने के बजाय जमानत पर रखा जा सकता था। ला कमीशन ने भी विचार करके यह निश्चय किया कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्रावीजन होना चाहिये। फिर पिछले दो साल में क्या दिक्कत आयी है वह समझ मे नहीं आती। क्या प्रोसेस का एब्यूज हुआ है जो उसमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी यदि किसी के खिलाफ वारन्ट जारी हो जाते है परन्तु प्राइमाफेसी केस नहीं होता है तो जमानत देने में क्या कठिनाई है? परन्तु न्यायालय को मजबूर नहीं किया जा सकता कि एन्टीसिपेटरी बेल दी ही जाय। यदि सुनने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेल का केस नहीं बनता तो जमानत न दी जाए और बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि हर न्याय अधिकारी ने अपनी इच्छानुसार कुछ निजी तरीके बना रखे हैं। कोई कहता है कि एक दिन या कोई कहता है कि जब तक दो दिन जेल में नहीं रहेंगे तब तक बेल पर विचार नहीं होगा। इसलिए न्याय मन्त्री यदि इस प्रकार का बिल लाते कि हर अधिकारी को मजबूर किया जा सकता कि एक निश्चित समय में जमानत के आवेदन-पत्र पर विचार करना होगा, तो कहीं अच्छा होता। क्योंकि यह बातें हर न्याय अधिकारी की अपनी अपनी मान्यताओं पर नहीं छोड़ी जा सकतीं। जो भले किस्म के आदमी भी हैं और उन पर आरोप-पत्र आ जाते हैं तो उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही समय के लिए एन्टीसिपेटरी बेल का प्रावीजन किया था। अगर इसका मिसयूज न हुआ तो इसके बारे में और संशोधन कराने की आवश्यकता नहीं।

तीसरी बात यह कही गयी कि संशोधन इसलिए ला रहे हैं कि जेलों में मुकदम सुने जायेंगे। इसमें क्या परेशानी है? आज न्यायालयों में क्या दिक्कतें हैं उनको हम सभी जानते हैं। अभियुक्त हिरासत में है और वह जब अदालत में लाया जाता है तो नार लगाता है और पुलिस के सामने शान्ति व्यवस्था कायम रखने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अगर न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास है तो इसमें क्या हानि है कि जेल में जाकर शान्तिपूर्ण ढंग से सुनवाई होगी और जनता पर भी जो कुप्रभाव पड़ता है वह रुकेगा। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश के विवेक पर है कि जो व्यवस्था वह उपयुक्त समझे उसके अनुसार कार्य करे। कई अभियुक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं केवल ड्रामा ही करूं और वह नहीं चाहता कि मुकदमा करने के स्थान की बदली हो सके तो न्यायाधीश के ऊपर डिस्क्रीशन होगा कि अमुक स्थान पर सुनवाई करे। न्यायालय के प्रांगण में करें या जहां सुविधा समझे। यह इसका अर्थ नहीं है कि जेल में ही सुनवाई की जाएगी। कहीं से 50 गवाह आने हैं तो न्यायाधीश को सुविधा होगी कि वहां जाकर सुनवाई कर सके। इस प्रकार एंटीसीपेटरी बेल को छोड़कर जितने संशोधन लाए गए हैं वह औपचारिक हैं और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने वाले हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गोविन्द सिंह नेगी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया और त्रिवेणी सहाय जी ने इसका समर्थन किया है तो मैं समझता हूं कि न्याय की मंशा हुआ करती है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। इसकी पूर्ति जिन नियमों से हो वह नियम तो ठीक है। इसके लिए जो संशोधन रखा है वह महत्वपूर्ण है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर सदन को दें तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

यह संशोधन नहीं प्रस्ताव है।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जी हां, उसी पर कह रहा हूं और इसका मैं समर्थन कर रहा हूं। एक मूलभूत बात कहता हूं कि उन्हीं पुराने घिसे-पिटे लोगों को जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट बनाकर जो रुके हुए केस हैं जिसकी संख्या 5 लाख बताई गयी है करवाना है तो इसके लिए नयी पीढ़ी को अवसर दिया जाना चाहिए।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

यदि समय नहीं दिया गया तो एक जटिल समस्या बढ़ती जा रही है। देश के मेधावी लोग देश से बाहर जा रहे हैं। आप किसी भी वर्ग में देख लें, 60 हजार प्रशिक्षित अध्यापक, टेकनीशियन्स विधि वेत्ता बेकार हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उनकी नियुक्ति होनी चाहिये, यह उचित बात है। दूसरी बात भी उनकी तर्कपूर्ण है क्योंकि वें स्वयं भी कानून के जानने वाले हैं और उसकी तहत में जाकर उसकी मूल बात को उन्होंने देखा है। आज पुलिस किस प्रकार का नंगा नाच कर रही है और उसको इस नंगा नाच करने की इससे पूरी छूट हो जाएगी।

जिन विधि वेत्ताओं ने एन्टीसिपेटरी बेल की व्यवस्था की उनकी नियत बिल्कुल साफ थी, वे दूरदर्शी थे और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने उसकी व्यवस्था की थी। आज हम क्षुद्र स्वार्थों के कारण जो इन पर कुठाराघात करने जा रहे हैं उसका आने वाला इतिहास कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा विद्रोह पनपेगा और अन्सतोष पैदा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। आज हम इसको दुनिया के सामने उसको रखने जा रहे हैं। पुलिस के बारें में एक शब्द आया है, आरक्षी। आरक्षी शब्द के अर्थ हैं कि दन्ड लेकर रक्षा करने वाला। सभी विभागों में उसका नियन्त्रण होता है और दन्ड देने के लिए ही उसके हाथ में दन्ड है। इस दिशा में अगर जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही थी वह थी पुलिस विभाग में कि वहां कुछ सुधार हो रहा था। आठ वर्ष पूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अनुसन्धान किया गया था, वैज्ञानिक ढंग से वह सर्वेक्षण हुआ था और तथ्यों की छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उनका यह कहना था कि भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार और अनाचार सबसे अधिक पुलिस विभाग में था परन्तु ईश्वर का धन्यवाद कि वे सभी बुराइयां अब अन्याय विभागों में चली गई हैं और अब पुलिस विभाग का नम्बर 37वां है। पिछले पांच या छः वर्षों में पुलिस विभाग ने अपनी उस कीर्ति को पुनः नष्ट कर दिया है और अब वह फिर से भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार से ग्रस्त हो गया है। आज फिर वहां पर वे सभी चीज शुरू हो गई हैं और यदि मैं अपने ट्रेजरी बेन्चों के बैठने वाले मित्रों से कहूं कि आरक्षी का वास्तविक अर्थ क्या है मैं उसको इन शब्दों में प्रकट करता हूं :—

"चिड़िया घर का अजनवी जन्तु, जलचर है या पशु पक्षी है,
तक्षक का घोर विशैला है, निर्दय नृशंस नर भक्षी है,
दुर्धर्ष दुराचारी दानव जो, दुराराध्य दुर्लक्षी है
अपशब्दों का भन्डार विपुल,
उत्तर प्रदेश आरक्षी है।"

ये हैं उत्तर प्रदेश के आरक्षी और दन्ड प्रक्रिया में आप संशोधन करके उसको और अधिकार दिए जा रहे हैं। उनकी एन्टीसेपेटरी बेल का उद्देश्य है कि वह पुलिस अपने नारकीय कारनामों से बाज आए। लोगों की भावनाओं से प्रेरित होकर उसके हित में कुछ करे परन्तु इसके विपरीत पुलिस सत्य को छपाने की कोशिश करती है। इस आपत्तिकाल में जो अधिकार आपको मिला है और जिसके लिए बराबर आश्वासन दिया गया है कि यह जन

हितकारी कार्यों में प्रयोग किया जाएगा और राजनैतिक कारणों से इसका दुरुपयोग नहीं होगा। साफ प्रकट हो रहा है कि आप आपात्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इस दिशा में भारत की प्राचीन सभ्यता का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं सारे संसार म जो बेनजीर है। उस घटना का वर्णन आदिकवि बाल्मीकि ने रामायण म किया है। हनुमान को रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उन पर अनेक चाजज लगे हुए थे। वह बिना पास पोर्ट के लंका में प्रवेश कर गए थे। बन्दी सीता से बिना अनुमति के बात की। इसके अलावा लूटपाट की, आग लगाई। रावण के दरबार में जब हनुमान को उपस्थित किया जाता है तो रावण उनसे कहता है कि ए दूत तुम पर ये-ये चार्जेज हैं, तुम अपनी सफाई स्वयं प्रस्तुत कर सकते हो। यह रावण राज्य का उदाहरण है जहां बन्दी को इतनी सुविधा है जिस पर 302, 395 396, मीसा का उल्लंघन; सरकारी बंदी से बिना अनुमति के मिल लेना, लूट पाट करना आदि-आदि न जाने कितनी धारायें लगी हुई थी, लेकिन इतना मौका दिया गया। सारी बतों को सुनने के बाद जब रावण उनसे सन्तुष्ट नहीं होता है तो रावण ने कहा तुम्हें मृत्यु दन्ड दिया जाता है लेकिन उस कैबिनेट के एक वरिष्ठ मन्त्री विभीषण ने खड़े हो कर कहा कि यह निर्णय गलत है, दूत को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। राजा निरंकुश कार्य नहीं कर सकता है।

एक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है और आप बतलाइए किस न्यायप्रणाली के अन्तर्गत हनुमान को मौत की सजा दी जा रही है। आज तो आपको पकड़ लिया जायगा और यह भी नहीं बतलाया जायगा कि किस अपराध में पकड़े गए हो? "गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। सजा भी जानता हूं मैं, खुदा जाने खता क्या है।" रावण ने विभीषण की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह पापी है, आततायी है, इसने आग लगाई है, लूटपाट की है, बिना पास पोर्ट के घुस आया है लिहाजा इसे मृत्यु दन्ड दिया गया है। विभीषण ने कहा कि नियम के अन्तर्गत ऐसा दन्ड इसे नहीं दिया जा सकता। उसने कहा कि आप कोई उदाहरण इस देश का अथवा किसी देश का दें जब किसी दूत का वध किया गया हो। नियम के अनुसार दूत का वध नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है? यह बड़ी घातक चीज होने जा रही है कि एन्टीसिपेटरी बेल का जो प्रावीजन था उसको भी आप समाप्त करने जा रहे ह केवल अपने क्षुद्र, स्वार्थों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक विद्वेष की पूर्ति के लिए जिन्हें पुलिस अपने अत्याचार और अनाचार से दबाना चाहती है। आज नंगा और उच्छृंखल नाच कर रहे ह। "किनारे पर खड़े हो तमाशा देखने वालों कभी ऐसा भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं।" मैं यह समझता हूं कि यह जो विपलव की लहर चल रही है यह आपको भी अछूती नहीं छोड़ेगी। यह कभी आप पर भी आ सकती है। जो हमारे पुराने इतिहासों में बातें कही गई हैं, उनको भी स्वीकार करना चाहिए यदि कोई अच्छी बातें हैं तो उनको स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं श्री गोविन्द सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है विशेषकर एन्टीसिपेटरी बेल के बारे में जिसका कुछ उधर के लोगों ने भी समर्थन किया है, समर्थन करता हूं। आप जो करना चाहते हैं वह न्याय के हित में नहीं होगा और न ही प्रदेश के हित में होगा। पुलिस की उच्छृंखलता में इससे वृद्धि होगी। आज किस प्रकार से बनावटी और मनगढ़न्त मुकदम दर्ज किए जाते हैं। मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति की क्या कहूं, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैं यहां पर अपनी व्यक्तिगत बात नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है जो ओछी बात होती है। लेकिन मान्यवर, निरीह और निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ कर अत्याचार हो रहा है। मान्यवर, सुन्दर राम राज्य की बात राष्ट्रपिता करते थे वह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब मैं जब प्रातः काल उठता हूं तो राम राज्य को दूर रहा भगवान से यही कहता हूं कि इस देश में रावण राज्य हो जाय तो अच्छा है। क्योंकि मान्यवर, इस वीभत्स राज्य से तो रावण राज्य कई गुना अच्छा था। इसलिए मैं कहता हूं कि रावण राज्य हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप दन्ड प्रक्रिया संहिता पर बोल रहे हैं या उप देश दे रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यह मैं दन्ड प्रक्रिया संहिता में एन्टीसिपेटरी बेल के बारे में बोल रहा हूं। इसका भयंकर आघात लोगों पर होगा। मान्यवर श्री मोरारजी देसाई ने इसके बारे में कहा था कि इसकी मंशा यह है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उस वक्त आश्वासन दिया गया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन आज श्रीमन्, वही किया जा रहा है। हम फिर एक बार आपके माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि यह कम से कम एन्टीसिपेटरी बेल पर जो अंकुश लगा रहे हैं यह उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ यह जो दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव श्री गोविन्द सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 जो रखा गया है उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, दो तीन बातें उधर से भाइयों ने कहीं। लेकिन वह इससे सम्बन्धित नहीं थी। जहां तक इस बिल की मंशा का प्रश्न है उसके बारे में जो उधर से कहा गया उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह एन्टीसिपेटरी बेल जो खत्म की जा रही है वह उचित है। मैंने देखा है एक एन्टीसिपेटरी बेल का फायदा उन लोगों ने उठाया जो ब्लैक मार्केटियर्स थे। जिनके पास मान्यवर, पैसा था वही इसे करवा लेते थे। मैं आपको एक केस के बारे में बतलाता हूं कि एक सेठ बहराइच के थे उसके बारे में बताता हूं। वह बहुत बड़ा आदमी था, लखपति करोड़पति था। मुकदमा बिल्कुल साबित भी था, लेकिन उसने तड़ से एन्टीसिपेटरी बेल करवा ली और छूट गया। तो मुझे मार्क्स की एक बात याद आती है—किसी भी पूंजीवादी देश में कानून की आत्मा धन हुआ करती है? ये सम्पत्ति वाले लोग जो कानून को बनाते बिगाड़ते हैं, उनको इसकी छूट नहीं होनी चाहिये कि वे अपने धन के बल पर कानून का मखौल उड़ायें। इसलिए इस सरकार की ओर से जो एन्टीसिपेटरी बेल खत्म किया गया, उसकी मंशा यही है। ये बड़े-बड़े लोग जो ब्लैक मारकेटिंग करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं और अपनी तिजोरियों में लाखों-करोड़ों रुपया रखकर, उस पैसे के बल पर जेल जाने से बच जाते हैं, तो यह उनके लिए बड़ा अच्छा किया गया है। इस बारे में विरोध पक्ष के लोग भी ज्यादा गलतफहमी न रखें, क्योंकि उनका ज्यादा नुकसान नहीं है। वे भी चाहते होंगे कि जो बड़े-बड़े ब्लैकमार्केटियर्स हैं जेल जायं, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा इस बिल में जो डी नो वो ट्रायल (Denovo trial) को खत्म किया गया है, यह भी अच्छी बात है? हमने देखा है गवाही चल रही है, उस बीच एक जज का यदि तबादला हो गया तो वह उसका ट्रायल फिर से शुरू किया जाता था। इससे उसमें बड़े कन्ट्राडिक्शन्स आ जाते थे और दो तीन साल फिर से गवाही शुरू करने में लग जाते थे, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और सरकार का बड़ा पैसा जाया हुआ करता था। इसलिए यह खत्म करना भी बहुत अच्छा हुआ है। इससे जनता का कल्याण होगा और सरकार के धन का अपव्यय रूकेगा और इसके अलावा जो गवाही आज दे देता है, तीन साल बाद फिर पेश होता था, उससे अनेक कन्ट्राडिक्शन्स आ जाते थे और वह मुकदमा छूट जाता था, उसका चलना न चलना बेकार था, यह चीज भी, परेशानी भी खत्म हो जायगी।

इस बिल के बारे में तीसरी चीज यह कहना चाहूंगा कि केवल न्याय होना ही नहीं चाहिये, दिखावे में भी होना चाहिए। यह न्याय का प्रमुख सिद्धान्त है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि यदि न्यायपालिका की गरिमा ऊंची नहीं हुई, यदि न्यायपालिका पर न्याय पाने वालों का सन्देह रहा, तो यह शासन के लिए भी लज्जास्पद चीज है और सदन के लिए भी। मान्यवर, मेरे मन में भी एक सन्देह है, वह यह कि आपने कुछ मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां

कीं। ठीक है, मुकदमें बहुत इक्ट्ठा थे, नियुक्तियां होनी चाहिए। जिससे मुकदमों का फैसला जल्दी से जल्दी हो सके, न्याय जल्दी से जल्दी जनता को सुलभ हो सके। लेकिन मान्यवर, मैंने देखा कि न्यायपालिका अब उतनी पाक और साफ नहीं रह गई है, जितनी आज से 20 साल पहले थी। तो मैं यह कहना चहता हूं कि कल उसके खिलाफ कम्पलेन्ट हों कि पैसा लेकर यह मुकदमों का फैसला कर रहे हैं। क्योंकि मान्यवर यह प्रथा अब बहुत बढ़ चुकी है, तो मैं न्याय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि जिधर समाज जा रहा है, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास नहीं रह गया, इस तरह से हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम जिन्दा नहीं रह सकेंगे। न्याय पालिका ही गरीब और अमीर को एक दृष्टि से देखती है। न्यायपालिका की गरिमा गिरी तो कोई भी नागरिक इस देश में ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि उनके पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि पैसा लेकर फैसले हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हम देखते हैं, इसमें उनको कोई डर नहीं रह जाएगा कि हमारी चरित्र-पंजिका में विपरीत उल्लेख कर दिया जायगा, क्योंकि वें रिटायर हैं। वें सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निकाल देंगे। यों भी किसी जज के खिलाफ कोई कम्पलेन्ट होती है तो उसमें सालों ऐसे ही निकल जाते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इसको कैसे रोकें। क्योंकि यह चीजें जो अ ज आप लाए हैं, कर रहे हैं, सरकार का जो मनसूबा है ठीक है, सरकार की नीयत ठीक है कि मुकदमों का फैसला हो और जल्दी से लोगों को न्याय मिल जाय। लेकिन अगर आपके पास पूरे सूबे से कम्प्लेंट आनी शुरू होंगी तो उस समय क्या होगा क्योंकि यह चीजें आवेगीं। मान्यवर, बहुत तेजी से आवेगीं क्योंकि मैं देख रहा हूं, रोजाना यह चीजें देख रहा हूं। आज जो सी आर0 पी0 सी0 में अमेंडमेंट लाया गया ह, जो यह विधेयक रखा गया है उसकी नियत बिलकुल साफ है। हमारे कुछ विरोधी पक्ष के कुछ भाइयों ने कुछ बात कहीं मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि उसका ताल्लुक कुछ पोलिटिकल मोटीवेशन से है। तो पोलिटिकल मोटीवेशन से न्यायपालिका को हटा दें जो सही चीजें हैं उस पर न्याय कर दें। मेरे मन में जो शंका थी, उसे हमने बता दिया बाकी जो अमेंडमेंट हैं उससे मैं सहमत हूं। जो आपने एंटीसिपेटरी बेल समाप्त किया यह और भी अच्छी बात है। इन शब्दों के साथ जो हमारी सरकार की ओर से, न्याय विभाग की ओर से न्याय मंत्री जी ने यह रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि न्याय की गरिमा को बढ़ाने के लिये जो मैंने चीजें कही हैं, उस पर वह गौर करेंगे।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक बात नेगी जी ने उठायी कि ला कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सी आर0 पी0 सी0 में अमेंडमेंट किया गया, यह बात सही है लेकिन मैं उनका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हालात में मैं ऐसा समझता हूं कि जो हम लोगों के दिमाग में कन्सेप्शन बना हुआ है जूडिशियरी और इग्जीक्युटिव के सैपरेशन का वह एक तरह से फेर योर रहा है। मैं एक व्यवहारिकता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शुरू में जब अंग्रेजों ने आई0 पी0 सी0 और सी आर0 पी0 सी0 बनाया, उसके अन्दर प्रतिद्वन्दिता की भावना थी। पुलिस का अधिकारी प्रिजुडिश होकर जो अपना पक्ष है, उस भावना को लेकर वह केस को बनाता है। जो आज की स्थिति हैं उसमे इस प्रकार के कंसेप्शन के लागू करने से समाज में कितनी तरह की गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, आज उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों को उठा कर देखिये एक तरफ हम कहते हैं कि ए0 पी0 पीज0 को पुलिस के नियंत्रण से अलग कर दिया जाय लेकिन व्यवहार में अगर आप छूट दे दें तो जैसे एक वकील मुकदमे को करता हैं, मुकदमा छूट जाय या सजा हो जाय, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि जो सामान्य प्रशासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

है उसके अन्दर गड़बड़ियां पैदा होती हैं। यह हम लोगों के दैनिक अनुभव का है। अगर छोटी अदालतों में जहां पर ए0 पी0 पीज0 काम करते हैं अगर उनको स्वतंत्र कर दिया जाय तो न्याय की व्यवस्था में आपको दिक्कत पड़ेगी। लेकिन जहां बड़े मुकदमें होते हैं, जहां पर ट्रान्सपोरटेशन, मौत की सजा प्रेस्क्राइब्ड हैं वहां पर डी0 जी0 सी0 या ए0 डी0 जी0 सी0 हैं, वहां पर अगर ए0 पी0 पीज0 को रखेंगे तो मान्यवर, उसमें दिक्कत पड़ेगी। तो आप पहले अपने दिमाग को साफ कर लीजिये कि पुलिस के नियंत्रण में पब्लिक प्रासीक्यूटर्स रखे जायं या न रखे जायं।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सरकार शासन एक निश्चित दृष्टिकोण बनाले, अगर सेशन्स की अदालत में पलिब्क प्रासीक्यूटर्स काम कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं हैं कि वह प्रक्रिया न अपनायी जाये। मैं चाहूंगा कि माननीय न्याय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वह जो शासन का दृष्टिकोण हो उससे अवगत कराने की कृपा करेंगे। मान्यवर, मजिस्ट्रेटों को फर्स्ट क्लास की पावर देने की बात कही जा रही है। इस प्रथा को अंग्रेजों ने चालू किया था। उनका उद्देश्य था कि बड़े-बड़े लोगों को रूतबा दिया जाये। यह अदालतें 6–6 बजे शाम से चालू होती थीं और उनको सुनवायी होती थी। जब यह प्रथा चालू की गयी थी तो हमने यह सोचा था कि यह सफल नहीं होगी। जो न्यायालय की कुर्सी पर बैठे उसको पूरा समय देना चाहिये। माननीय गोखले साहेब जो इस समय हमारे कानून मंत्री हैं वह हाई कोर्ट के जज थे और कहा करते थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिये जिससे कि जजों की इन्टग्रिटी पर कोई संदह न किया जा सके। आज वह कनून मंत्री की हैसियत से विराजमान है। यहां भी प्रभुनारायण सिंह जी जो पुराने वकील हैं वह यहां पर बैठे हैं। मझे नहीं मालूम कि इन मजिस्ट्रेटों को कितना भत्ता दिया जायेगा।

मान्यवर, मुझे भी थोड़े दिन वकील रहने का अवसर मिला है तो मैंने देखा कि जो आनरेरी मजिस्ट्रेट थे वह कहा करते थे कि मुझे इतना भी पैसा नहीं मिलता है कि म मोटर से न्यायालय तक आ सकूं। अगर उनकी यह धारणा रहेगी कि कम पैसा मिल रहा है तो मान्यवर क्या होगा ? जैसा माननीय दीपनारायण पांडेय जी ने कहा कि उसका परिणाम हो सकता है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी मजिस्ट्रेट बेईमान हैं, मेरा तो कहना यह है कि इस बात की संभावना हो सकती है। आप को याद होगा कि आजादी आने के बाद रेवेन्यू के मुकदमे बहुत बढ़ गये थे। आज तमाम ला ग्रेजुएट्स जूनियर वकील हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। अगर इन लोगों में से नियुक्त किया जाये तो कोई वजह नहीं है कि वे लोग काम न चला सकें। स्पेशल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो होगी वह केवल रिटायर्ड लोगों की ही होगी, जो प्रेक्टिसिंग लायर हैं वह नहीं लिए जायगे। एक ओर तो मान्यवर इन्दिरा जी का अभियान है कि नवयुवकों को अधिक से अधिक मौका दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, जो लोग 50 वर्ष के हो जाते हैं हर 6 माह बाद उनकी आप स्क्रीनिंग करते हैं और अगर थोड़ी सी भी आप गड़बड़ी देखते हैं तो रिटायर कर देते हैं। यह बहुत अच्छा किया था पिछली सरकार ने कि वे किसी को एक्सटेन्शन नहीं देंगे। और मैं जानता हूं कि कुछ अधिकारियों को एक्सटेन्शन नहीं मिला यद्यपि 3–3 कैबिनेट स्तर के मंत्री वैसा चाहते थे। तो मेरी प्रार्थना है कि जो रिटायर होने वाले हैं, उनको रिटायर कीजिए ताकि देश के नवयुवकों को मौका मिल सके। उन लोगों को जो रिटायर हो गये हैं उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स न बनाइये और इस विरोधामास को दूर कीजिए क्योंकि न्यायपालिका के अन्दर विश्वास होना चाहिये। यह एक बुनियादी चीज है और हमारी व्यवस्था की एक खूबी है अंग्रेजों ने हमे जो अच्छी-अच्छी चीजें दीं हैं, यह उनमें से एक है। इस नजरिये से देखकर प्रदेश की जनता में इस प्रकार की धारणा है कि जो व्यक्ति रिटायर होकर 58 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें हमारी न्यायपालिका में लाने की चेष्टा न करें।

जहां तक एन्टीसिपेटरी बेल का सम्बन्ध है सैद्धान्तिक रूप में हम भले ही कुछ कह लें लेकिन उसका मिसयूज ही हुआ है, उससे छोटे स्तर का काम हुआ है। जितने बड़े-बड़े डकैत थे, अपराध करते थे, जो पुलिस के चंगुल से बचना चाहते थे ज्यादातर इसका इस्तेमाल उन्होंने ही किया है। श्रीमन्, मैं लखनऊ और अपने जनपद को जानता हूं कि इसके द्वारा नागरिक अधिकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है कि जो लोग पुलिस के यहां जाकर मार खाने से डरते थे वे सीधे अदालतों में जा कर एन्टीसिपेटरी बेल ले आये। तो आपने इसके लिये जो संशोधन पेश किया है अवश्य ही उसका सैल्युटरी इफैक्ट पड़ेगा। अब जो जघन्य अपराध करने वाले हैं, वे इसका प्रयोग नहीं कर पायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ शंकायें विरोध पक्ष के सदस्यों और हम लोगों ने व्यक्त की हैं, उन पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो राय जाहिर की उससे मुझे ऐसा लगा कि इस बिल की मंशा से अधिकांश लोग सहमत हैं, एक आध बातों को छोड़ कर। यहां पर विरोध पक्ष के एक अतिवादी माननीय सदस्य ने इसके आधे हिस्से का तो समर्थन किया है और आधे के ऊपर लम्बी तकरीर कर दी। किसी युग में जैसा भी समाज रहा हो, उसमें जो भी कानूनी व्यवस्था रही हो उसका कोई न कोई तो आरक्षक रहा ही होगा। मौजूदा कानून की जिम्मेदारी सरकार की है और वह अपनी पुलिस विभाग और सिविल विभाग, दोनों के माध्यम से, उस कार्य को कर रही है। ऐसी स्थिति में जब किसी के कन्धों पर जिम्मेदारी हो अगर वह छोटे-मोटे कार्य करके उनको पूरा करने की चेष्टा करती है तो कोई बुरी बात नहीं है। विरोधी पक्ष के लोगों ने स्वयं कहा है कि ब्रिटिश शासन काल में जो पुलिस की स्थिति थी, आजादी के बाद उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है और भ्रष्टाचार के मामले में अगर वह पहले नम्बर पर था तो अब उसका 37वां नम्बर हो गया है। या तो आप उनके बारे में इतना अनजाने कह गये या फिर चूंकि समालोचना करनी है इसलिये आपने समालोचना की। जो लोग क्रिमिनल आफेन्सेज करेंगे उनको दंड दिलाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है और पुलिस उसमें माध्यम है। ऐसी स्थिति में पुलिस को रोक देना कि वह कोई कार्य न कर सके फिर तो अपराधों की ऐसी बाढ़ आयेगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

हमारे माननीय गोविन्द सिंह नेगी जी ने एक प्रश्न बिल्कुल सही उठाया। उन्होंने कहा कि ला कमीशन ने जो कार्य कर दिये हैं उनको अनडू करने की बात क्यों हो रही है। एक बात तो मैं उनसे बहुत नम्रता से कहूंगा कि जहां तक ला कमीशन की रेकमेन्डेशन्स की बात है वह अपनी जगह पर हैं लेकिन उसका एक व्यावहारिक पहलू भी है। जब कोई बात सामने आती है तो उसके लिये कानून आता है। उस कानून को अमल में लाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उस कानून के माध्यम से कौन लोग नाजायज फायदा उठाते हैं यह बात बाद में सामने आती है। ऐसी स्थिति में एन्टीसिपेटरी बेल का जहां तक मामला है आज अगर आप आंकड़े देखें तो एकोनामिक आफेन्डर्स ने ही सबसे ज्यादा फायदा इसका उठया है। उनके पास पैसा है उनको बड़े से बड़े वकील मिल सकते हैं। उन्हें जेल न जाना पड़े इसके लिये वह पहले ही एन्टीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। इसी के साथ साथ 302 के जो मुल्जिम हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, डाका डाला है, वह एन्टीसिपेटरी बेल लेते हैं। यदि हमारे माननीय सदस्यों की राय यह हो कि आज पुलिस को यह अधिकार न हो कि वह किसी बात की पूछताछ करें तब तो आप जो भी कहें वह ठीक है,लेकिन सरकार की यह निश्चित राय है कि पुलिस को पूछताछ करने का हक है, पुलिस को मामले की जानकारी करने के लिये और आफेन्स को पाजिटिव तरीके से मूव करने का उसको अधिकार है। एन्टीसिपैटरी बेल से आज जो बड़े-बड़े आफेन्स करने वाले लोग थे, वह सभी बच जाते थे।

[श्री प्रभुनारायण]

इसके अलावा आज के कांटेक्स्ट में जब एकोनामिक आफेन्डर्स पर, स्मगलर्स पर ब्लैक मार्केटियर्स पर हम जबर्दस्त हमला करना चाहते हैं हमें यह विचार करना पड़ा। सरकार का विचार है कि एन्टीसिपेटरी बेल का मिसयूज ज्यादा हुआ है और लाभ कम लोगों ने उठाया। जिनके साथ बिल्कुल इन्जस्टिस हो रही थी उन्होंने कम लाभ उठाया और जिन्होंने समाज के साथ इनजस्टिस की उन्होंने ज्यादा लाभ उठाया विशेषकर प्रिविलेज्ड क्लास ने। इसलिये सरकार ने एन्टीसिपेटरी बेल को निकालने का फैसला किया।

मैं एक बात नेगी जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सेक्शन 25, सी0आर0पी0 सी0 की जो बात है कि पुलिस अधिकारी को हम असिस्टेन्ट प्रासीक्यूटिंग आफिसर बना देंगे, ऐसी बात नहीं है। उसके अन्तर्गत वह आफिसर पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता है। इस विधेयक को लाने का मंशा केवल यह ह कि हम उनको पुलिस विभाग के अन्तर्गत रखने जा रहे हैं, पुलिस के आदमियों को कतई बनाने का इरादा नहीं है, केवल पुलिस का, एस0एस0 पी0 का नियन्त्रण रहेगा, उनके निरीक्षण में वे काम करेंगे। यह इसलिये किया जा रहा है ताकि क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में पुलिस अपना काम ठीक तरह से कर सके। जो चीज पहले थी उसको हम वापस नहीं ले रहे हैं। इसको केवल इफेक्टिव बनाया जा रहा है। जौनपुर के भाई ओम प्रकाश जी ने कहा कि डी0जी0 सी0, ए0 डी0 सी0, एडवोकेट जनरल आदि के अन्डर में क्यों नहीं कर देते। वे सभी न्याय विभाग के अन्तर्गत आते हैं।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

इनको जिलाधीश के अन्तर्गत करने में क्या दिक्कत है?

श्री प्रभु नारायण—

सारे मुकदमों की तफतीश पुलिस करती है। सारी शहादत व गवाहियां पुलिस ही इकट्ठा करती है, इसलिये इनको पुलिस के अन्डर में ही रखना ज्यादा उचित है। जो जिसका काम है वह उसी के सुपुर्द किया जा रहा है। ला एण्ड आर्डर का संबंध पुलिस से ही रहता है। वही इसको भी देखेंगे।

एक बात और स्पेशल मैजिस्ट्रेट के बारे में कही गयी। माननीय काशीनाथ जी तो एक लिंग कमेन्ट्री हैं। इसलिये उनकी बात कान में पड़ गयी। मुर्दा और पैरेलाइज्ड लोगों को रखने की बात कही गयी। यह भी कहा गया कि पहले मैजिस्ट्रेटों को आने जाने का खर्चा तक नहीं मिलता था। अब ऐसी बात नहीं होगी। उनको इतना मिलेगा कि खर्चा यह निकाल कर भी कुछ बच रहेगा। जो कब्र से लाने वाली बात है, उसके लिये भी अब उमर की कैद रख दी गयी है। माननीय काशीनाथ जी, मैं समझता हूं जरूर 75 वर्ष तक राजनीति में ठीक तरह से कार्य कर सकते हैं। उसमें हमने 68 वर्ष की आयु रखी है। नियुक्तियां भी सारी की सारी जुडिशियल विभाग के अन्तर्गत होंगी। हाई कोर्ट के अन्तर्गत होगी। ऐसा कोई एंप्वाइन्टमेंट भी नहीं है जिस एप्वाइंटमेंट के मामले में जुडिशियरी या हाईकोर्ट के बाहर जाकर स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने वाली बात हो जाय। रहेंगे उनके अन्दर ही। हम इस बार फ्रेश कंडिडेट्स को भी लेने जा रहे हैं। नौजवानों को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उनको रेगुलर सर्विस में लेने की बात है। श्री ओम प्रकाश जी भी जब उस उम्र के होंगे जब कि उनको छड़ी लेकर घूमने जाना होगा और समाज को उनके अनुभव से लाभ उठाने की बात होगी और उनके कोई काम देने की बात हो तो उस समय कम से कम उनका लाभ उठाया जा सकेगा। जो डिस्ट्रिक्ट जज या ऐडिशनल जज रिटायर हो गये हैं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं समझता हूं कि 68 साल की उम्र तक या जो लोग सर्विस में हैं उनको रिटायर होने के बाद स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनाना यह इस ऐक्ट की मंशा के विपरीत है और मैं समझता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इसमें सारे सेक्रेटेरिएट का जाल बट्टा है और हम लोग जब एस्टीमेट कमेटी में जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं कि तमाम बुढ्ढे लोग क्रिमिनल लेबर और दूसरों के साथ हमला करते हैं और केन्द्र की जो नीति है उसके खिलाफ भी यह प ता है, इसलिये इस पर पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि रिटायर लोगों को कहीं किसी काम में न रखा जाय।

श्री प्रभु नारायण—

कभी-कभी काशीनाथ जी अन जानकारी में बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं। उनको मालूम होना चाहिये कि इस मामले में केन्द्र का कांकरेंस ले लिया गया है। इस कानून के साथ की पूरी इजाजत है। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी वे जिस तरह से हम लोगों की इजाजत के बिना भी कभी दायें, कभी बायें चले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि अभी कोई अवसर नहीं था और वे बोल गये।

श्री प्रभु नारायण—

इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काकरेंस है। आर्डिनेंस पिछले सदन में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि केसेज का नम्बर बहुत अधिक हो गया है और फाइनेंस भी इनवाल्वड है, इसलिये रिटायर्ड जजेज को लेने की बात की गयी है। केवल थोड़े समय के लिये उनका उपयोग करने की बात है कि जो रिटायर्ड जज या एडिशनल जज या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और जिनको अनुभव प्राप्त है, उनका लाभ शासन उठा सके। केसेज बहुत अधिक पेंडिंग हो गये है, उनको कम करने केलिये थोड़े समय के लिये ही उनको भर्ती करने की बात है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पास करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आयेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, एंटीसिपेटरी बेल का लाभ आर्थिक और सामाजिक अपराध करने वाल लोंगों ने उठाया है इससे मैं सहमत हूं लेकिन क्या वे राजनीतिक लोगों को इस एन्टीसिपेटरी बेल के अन्दर छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि शायद उनको नया नया जेल जाने का शौक पैदा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। पहले भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के अन्तर्गत कोर्ट के अन्दर जाकर मुकदमे नहीं होते थे। सेक्शन 7 और 17 के मुकदमे क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवाई, जेलों में ही हुआ करती थी। चूंकि आप नये-नये हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष—

नये नहीं हैं दो साल हो गये हैं।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

क्य आप इसे वापस ले रहे हैं। उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैंने संशोधन पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव तो किया है, लेकिन उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नियम में है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम दिखायें ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, नियमावली मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा, चूंकि भावना के रूप में, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सबने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह सही है कि आर्थिक अपराधियों को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये। यह भी सही है कि जो देशद्रोही तत्व हैं, जो देश की आजादी को खतरे में डालना चाहते हैं, उनको जेलखाने के अन्दर कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण के तौर पर मंत्री जी से कुछ पूछ सकते हैं। उत्तर नहीं दिया जा सकता। स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण के तौर पर मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह एक आश्वासन देने की कृपा करें कि जो आप नया चयन करेंगे स्पेशल मैजिस्ट्रेटों का उसमें जो बूढ़े खूसट हैं, उनको न रखेंगे। दूसरी चीज यह है कि यह बताने की कृपा करें कि यह जो पब्लिक प्रासीक्यूटर रखे जायेंगे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि पुलिस वाले नहीं होंगे दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नियंत्रण पुलिस कप्तान का होगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक प्रासीक्यूटर्स किस विभाग के कर्मचारी होंगे, किस विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति होगी और कौन इनकी सी0 आर0 लिखेगा। इसका स्पष्टीकरण आप कर दें ?

श्री प्रभुनारायण--

मान्यवर, इनकी नियुक्ति गृह विभाग के प्रशासनिक विभाग की तरफ से है। दूसरी बात माननीय नेगी जी ने उम्र क बारे में की है तो उनकी इस राय को ध्यान में रखा जायगा जितने कम उम्र के लोग लिये जायेंगे 60–68 के बीच में, इसका अवश्य ध्यान रखा जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय गोन्विन्द सिंह नेगी जी को अपने संशोधन को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 12

अधिनियम संख्या 2, 1974 की धारा 9 का संशोधन

2--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे यहां आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

"परन्तु जहां किसी विशेष मामले में आन्तरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के विचार से ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, वहां सेशन खंड में किसी स्थान में बैठक सेशन न्यायालय कर सकता है या

सेशन न्यायालय को तदर्थ उच्च न्यायालय निदेश दे सकता है, और ऐसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति आवश्यक नहीं होगी ।"

धारा 11 का संशोधन

3—उक्त संहिता की धारा 11 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:—

"(1—क) राज्य सरकार इस प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र में, विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के या विशेष वर्गों के मामलों के या साधारणतया मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित कर सकती है ।"।

धारा 13 का संशोधन

4—उक्त संहिता की धारा 13 में, शब्द "द्वितीय वर्ग" के स्थान पर शब्द "प्रथम या द्वितीय वर्ग" रख दिये जायेंगे, और शब्द "किसी जिले में" के स्थान पर शब्द "किसी स्थानीय क्षेत्र में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 25 का संशोधन

5—उक्त संहिता की धारा 25 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्:

"परन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को सहायक लोक अभियोजकों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के माध्यम से करने से प्रतिषिद्ध करती है ।"

धारा 209 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 209 में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जाएंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 207 के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् यथाशीघ्र मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा ;

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खंड (क) के अधीन मामले को सुपुर्द करने तक और तत्पश्चात् विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा ; "।

धारा 299 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 299 में, उपधारा (1) में, शब्द "उस व्यक्ति का विचारण करने के लिये सक्षम" के स्थान पर शब्द "उस व्यक्ति का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सक्षम" रख दिये जायेंगे ।

धारा 326 का संशोधन

8—उक्त संहिता की धारा 326 में :—

(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "मजिस्ट्रेट" आया हो, वहां उसके स्थान पर शब्द " न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द " एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को" से पूर्व शब्द " एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 438 का निकाला जाना

9—उक्त संहिता की धारा 438 निकाल दी जायगी ।

धारा 484 का संशोधन

10—उक्त संहिता की धारा 484 में, उपधारा (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"(ङ) यूनाइटेड प्राविंसेज बोर्सटल ऐक्ट, 1938, संयुक्त प्रान्त प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 और उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि संक्षम विधान मडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दिया जाय, और तदनुसार इस संहिता की धारा 360 के उपबन्ध उस राज्य पर लागू नहीं होंगे, और धारा 361 के उपबन्ध इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उसमें उल्लिखित केन्द्रीय अधिनियमों के प्रति निर्देश उस राज्य में प्रवृत्त तदनुरूपी अधिनियमों के प्रति निर्देश है।"

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 7, 1938 सं0 प्रा0 अधि- नियम संख्या 6, 1938 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1; 1952

वैधीकरण भी—

11—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए

(क) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूर्व जारी की गई राज्य सरकार की कोई अधिसूचना जिसका तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय स्थापित करना है, जिसकी अधिकारिता एक से अधिक जिलों में हो, वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त संहिता की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 के अधीन जारी की गई है और यह समझा जायगा कि वह विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रही है;

(ख) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूर्व जारी किया गया राज्य सरकार का कोई आदेश जिसके द्वारा सहायक लोक अभियोजकों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण करने का निदेश दिया गया हो, तो विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रहा है, मानों उक्त संहिता की धारा 25 में इस अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन, भी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

निरसन और अपवाद

12—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।]

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश या दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुआ था।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 13, 1976 उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 38, 1975

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तवना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं। (कुछ रुक कर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1976-77 के लिये 3,29,99,13,000 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1976 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 3,29,99,13,000 रु० (रुपए तीन अरब, उन्तीस करोड़, निन्यानबे लाख तेरह हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मंडल ..	21,44,	34,	21,78,
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	1,93,	1,93;
3	मंत्रि-परिषद् ..	5,74,	..	5,74,
4	न्याय प्रशासन ..	97,27,	23,49,	1,20,76,
5	निर्वाचन ..	28,67,	..	28,67,
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर ..	1,77,	1,	1,78,
7	भू-राजस्व ..	5,32,47,	1,62,55,	6,95,02,
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	20,96,	1,	20,97,
9	भूमि और भवन-कर ..	4,	..	4,
10	राज्य आबकारी ..	21,47,	1,	21,48,
11	बिक्री कर ..	97,15,	77,39,	1,74,54
12	मोटर गाड़ियों पर कर	1,38,98,	1,	1,38,99,
13	अन्य कर और शुल्क ..	10,44,	1,	10,45,
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	7,79,	—	7,79;
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	—	5,29,01,	5,29,01;

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची-(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
*16	व्याज का भुगतान ..	..	15,50,77,	15,50,77,
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	5,79,	5,79,
18	सचिवालय ..	1,10,57,	1,	1,10,58
19	जिला प्रशासन ..	1,48,36,	6,	1,48,42,
20	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	27,40,	1,	27,41,
21	पुलिस ..	9,59,40,	1,	9,59,41,
22	कारागार ..	87,57,	1,	87.58,
23	लेखन–सामग्री और मुद्रण ..	80,27,	..	80,27,
24	सार्वजनिक निर्माण–कार्य ..	14,72,	3,	14,75,
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें ..	70,66,	1,	70,67.
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें ..	1,45,90,	65,	1,46,55,
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें ..	34,67,	1,	34,68
28	शिक्षा ..	35,58,79	1,	35,58,80,
29	कला एवं संस्कृति ..	9,20,	1,	921,
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध ..	3,90,	..	3,90,
31	चिकित्सा ..	7,27,63,	2,	7,27,65,
32	परिवार नियोजन ..	1,68,71,	1,	1,68,72

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	2,92,03	1,	2,92,04,
34	आवास भवन ..	16,55,	42,	16,97,
35	नगर विकास ..	5,57,	..	5,57,
36	सूचना तथा प्रचार ..	25,31,	1,	25,32,
37	श्रम एवं सेवायोजन ..	1,14,53,	1,	1,14,54,
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,45,32,	2,	3,45,34,
39	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	36,34,	36,33,	72,67,
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	1,25,	..	1,25,
41	सहकारिता ..	79,53,	6,	79,59,
42	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र ..	10,60,43,	3,	10,60,46
43	सामान्य आर्थिक सेवाएं ..	24,24,	1,	24,25,
44	कृषि ..	5,39,48,	33,	5,39,81,
45	सामुदायिक विकास ..	3,92,23,	4,	3,92,27,
46	भूमि तथा जल–संरक्षण ..	64,19,	1,	64,20,
47	क्षेत्र विकास	43,53,	..	43,53,
48	खाद्य तथा पोषाहार	67,83,	8,	67,91,
49	पशुपालन ..	1,42,02,	1,	1,42,03,

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
50	दुग्धशाला (डेरी) विकास ..	12,07,	1,	12,08,
51	मत्स्य उद्योग ..	14,34,	1,	14,35,
52	वन	1,14,31,	7,	1,14,38,
53	उद्योग ..	1,00,02,	1,	1,00,03,
54	ग्राम्य एवं लघु उद्योग ..	58,43,	..	58,43,
55	खानें तथा खनिज ..	8,00,	1,	8,01,
56	विद्युत् विकास ..	9,60;	..	9,60,
57	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण—कार्य	11,45,99,	1,	11,46,00,
58	सिंचाई अधिष्ठान ..	4,35,89,	2,	4,35,91,
59	सिविल विमानन ..	1,92,	..	1,92,
60	संचार साधन ..	4,14,09,	2,	4,14,11,
61	कार्यात्मक भवन ..	6,21,	3,	6,24,
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	2,38,73,	1,	2,38,74,
63	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	94,14,	..	94,14,
64	सड़क तथा जल परिवहन	1,52,	..	1,52,
65	पर्यटन ..	2,76,	..	2,76,

अनुसूची—(क्रमश:)

1	2	3		
अनुदान, क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अध्यर्पण ..	1,82,39,	1,	1,82,40,
67	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	94,53,	17,	94,70,
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	34,52,	21,	34,73,
69	चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	40,90,	..	40,90,
70	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	37,63,	4,	37,67,
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,50,	8,	2,58,
72	सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,14,92,	..	2,14,92,
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,70,98,	1,	2,70,99,
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ..	5,93,75,	83,	5,94,58,
75	जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर ..	10,25,	..	10,25,
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,72,35,	1,	2,72,36,

अनुसूची--(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	29,84,	..	29,84,
78	खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय ..	20,30,33,	..	20,30,33,
79	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,11,	..	1,11,
80	वनों पर पूंजीगत परिव्यय .	1,54,	1,	1,55,
81	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	22,05,18,	1,	22,05,19,
82	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,75,00,	..	2,75,00,
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	3,58,17,	8,	3,58,25,
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्ययय ..	8,33,	..	8,33,
*86	राज्य सरकार के ऋण ..	..	79,29,98,	79,29,98,
87	ऋण और अग्रिम--शिक्षा	11,67,	.	11,67,
88	ऋण और अग्रिम--स्वायत्त शासन	1,30,03,	..	1,30,03,
89	ऋण और अग्रिम--सहायता एवं पुनर्वासन ..	5,09,	..	5,09,
90	ऋण और अग्रिम--उद्योग ..	91,27,	..	91,27,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
91	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	30,97,	..	30,97
92	ऋण और अग्रिम—कृषि ..	40,62,	..	40,62,
94	ऋण और अग्रिम्—विद्युत् ..	26,39,57,	..	26,39,57,
95	ऋण और अग्रिम—वित्त ..	24,17,	..	24,17,
	योग ..	2,26,77,95,	1,03,21,18,	3,29,99,13,

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3, अनुसूची इस विधेयक के अग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976

1 अप्रैल, 1976 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेय

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के सताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976†

*विद्युत् मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह ऐसा विधेयक है जिस पर सदन में आने के पहले इसके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा चुका है । अर्थात् अब उत्तर प्रदेश में जितने भी बिजली के संस्थान हैं जो व्यक्तिगत तरीके से चलाये जाते थे या स्थानीय निकायों द्वारा चलते थे उन सभी को विद्युत् बोर्ड ने अपने हाथ में लेकर चलाना आरम्भ कर दिया है । चूंकि जब यह आर्डिनेन्स लाया गया था उस समय सदन की बैठक नहीं हो रही थी । इसलिये इस बीच कार्यवाही भी हो चुकी है । फिर भी नियम के अनुसार यह सदन में लाना चाहिये इसलिये मैं इसे यहां पर ला रही हूं । इसमें दो–तीन बातें हैं । एक तो यह कि इसका जो पहले का अधिनियम था वह बहुत पुराना 1910 का है जिसमें 12 महीने की नोटिस देना पड़ता था यदि विद्युत् प्रतिष्ठान को अधिग्रहण किया जाता । इसलिये उसकी जगह पर यह संशोधन किया गया कि 12 महीने की जगह पर 11 महीने माना जाय । इससे थो ी सी टेक्निकल कठिनाई पैदा हो जाती थी नोटिस देने या सर्वे करने में जो कि मामूली बात है जिसके कारण यह संशोधन लाया गया है । दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि फिर जो संशोधन लाया गया है हमारे मूल अधिनियम की धारा–6 में उसको बढ़ा दिया गया । साथ ही साथ यह भी बढ़ाया गया कि इस धारा में नियत दिन रखा गया । और नियत दिन रखा गया है । ह इस लिए रखा गया कि 11 महीने की बात समझकर हो सकता है कि बिजली के अधिष्ठान जिनको सरकार लेना चाहती है या बोर्ड लेना चाहता है वह अपने यहां से बहुत सी चीजों को पहले ही निकाल दें, या ठीक से काम न करें या उसमें सुधार न करें । इससे जनहित को नुकसान हो सकता था । इ बात को यान में रखते हुए इस धारा में परिवर्तन किया गया और इसके अनुसार एक दिन नियत किया गया जिस दिन सारे पावर हाउसेज जो व्यक्तिगत तरीके से या स्थानीय निकायों द्वारा चल रहे थे, ले लिये गये । 20 नवम्बर, 975 को जो अध्यादेश हुआ था उसमें यह था कि जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं वह बुक वैल्यु पर डेप्रीसिएशन के साथ देने की बात की गयी । यह जनहित में भी है क्योंकि जो संस्थान जनता की सेवा कर रहा है उस पर ज्यादा भार न डाला जाय ।

विरोधी दल की तरफ से यह बात आयी है कि इसको विचार के लिये भेज दिया जाय तो उसकी अब इसलिये आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि यह काम आलरेडी हो चुका है और केवल सदन के सामने स्वीकृति के लिये आया है । माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी बता देना चाहती हूं कि जबसे विद्युत् बोर्ड ने इन संस्थानों को लिया है तो बीच में जो मिडिलमैन हुआ करते थे, वह समाप्त हो गये हैं । पहले प्राइवेट कम्पनी बोर्ड से पावर लेती थी और फिर पैसे बढ़ाकर जनता को देती थी । यह भार कंज्यूमर पर पड़ता था । अब यह चीज समाप्त हो गयी है । दूसरे यह कि इन संस्थानों के ऊपर बोर्ड का काफी कर्जा था जो वह नहीं देते थे । अब इनको लेने के बाद विद्युत् परिषद् इस स्थिति में है कि अपनी सारी ग्रिड्स को एक करके संचालित कर सके और एक रेट फिक्स करके उपभोक्ताओं को बिजली दे सके । जो अध्यादेश लाया गया था वह ऐक्ट के रूप में आज यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । मैं आशा करती हूं कि बिना बहस के ही माननीय सदस्य उसको पारित करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†24 मार्च, 1976 को कार्यवाही में छपा है ।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कब्ल इसके कि मैं इस विधेयक पर कुछ कहूं मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि जो भी संस्थान थे निजी व्यक्तियों के हाथ में या कंपनियों के हाथ में उनको लेने का कदम उठाया। साथ ही उन्हें मैं इसलिये भी मुबारकवाद दूंगा कि जो थरमल हाउसेज हैं उनकी क्षमता 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है और इसके लिये मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देता हूं। मंत्री जी का ध्यान मैं कुछ कठिनाइयों की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। जैसाकि इसमें धारा 3 की उपधारा 6 में दिया गया है कि इन संस्थानों में जो भी कर्मचारी होंगे उनकी सेवायें हैं अथवा जो उनका पद है वह वही बना रहेगा जब कि वह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पास होगा। अभी आगरा से मेरे पास वहां के कुछ कर्मचारी आये थे जो बता रहे थे कि यहां स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो कर्मचारी नियुक्त कियेगये हैं जैसे कि एकाउन्टेन्ट या हैड असिस्टेन्ट, यदि वे पहले इसी पर कार्यरत थे तो उनको वही पद दिया जाना चाहिये था जैसा कि नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को देखें। इन संस्थानों में जो पुराने तरीके से काम होता था अब उस तरह से न होकर जो हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और उसकी जो कार्यशैली है या जिस पद या स्तर का कर्मचारी है उसको उसी स्तर का पद दिया जाना चाहिये जैसा कि उनके सर्विस रूल्स में भी दिया गया है। उनको वही कार्य दिया जाना चाहिये। लेकिन इस परिवर्तन के बाद वहां के अधिकारियों ने उनसे यह कहा कि जैसे कोई हेड क्लर्क था तो उसको बिल बनाने का कार्य करना होगा। ऐसा होने से अनुशासन भंग होता है। मंत्री जी इसको अवश्य देखें।

दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर हमारे थरमल पावर हाउसेज हैं वहां के कर्मचारियों को चिमनी से जो राख निकलती है उससे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

शिकायत की बात आप बजट भाषण में करें। इस समय विधेयक के ही सम्बन्ध में बोलें।

श्री ईश्वरी सिंह—

जो पुराने कर्मचारी हैं उनको आप सर्विस रूल्स के हिसाब से ही कार्य करने के लिये अनुज्ञा दें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विद्युत् विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। विद्युत् का जो उपक्रम निजी व्यक्तियों द्वारा चलता था उससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ती थी और उनकी कार्यप्रणाली भी ठीक नहीं थी। इसी के साथ ही साथ जो हमारी नगरपालिकाए ह उनके पास जो विद्युत् उपक्रम था उसको भी सरकार ने ले लिया है। कई स्थानों की बात को मैं जानता हूं कि जो कम्पेनशेसन देने की बात है वह बुक वैल्यू पर देने की बात है लेकिन इस उपक्रम में जो भी लायबिलिटीज थीं, मैं मुख्य रूप से नगरपालिकाओं की बात करता हूं, उनको भी सरकार अगर उसी रूप में ले लेती तो नगरपालिकाओं पर जो वित्तीय भार बढ़ रहा है वह न बढ़ता। इसके कारण हल्द्वानी तथा नैनीताल नगरपालिकाओं पर इतना वित्तीय भार बढ़ गया है कि चलना कठिन हो गया है। जिस दिन विद्युत् परिषद् ने उनको अपने अधिकार में लिया उस विभाग के बहुतों को नौकरी से मुक्त कर दिया गया। जहां जहां इस तरह से हुआ है उसे आप देखें और जो सेवा में थे उनको पुन: रख लिया जाय तो उनको संतोष हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। नैनीताल के विषय में यह कह दूं कि काशीपुर से नैनीताल का नियंत्रण होता है वह ठीक से नहीं हो पा रहा है। पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां कर्मचारी रहते थे, दिन रात देखते थे और सब व्यवस्था ठीक रखते थे। जितनी नगर पालिकायें हैं उनमें सुचारु रूप से बिजली देने के लिये कोई विशेष प्राविधान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक शहरों का कार्य ठीक से नहीं चल सकेगा।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, जितने बिजली घर प्राइवेट कम्पनीज अथवा नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित होतेथे उन्हें विद्युत् परिषद् ने ले लिया है। इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की जो मुख्य-मुख्य कठिनाइयां हैं उनकी तरफ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहरों में बिलों की गड़बड़ी से अथवा देरी हो जाने से कभी-कभी बिजली के डिसकसेक्शंस हो जाते हैं तो रीकनेक्शन फीस अब 30 रुपये कर दी गयी है जिसका देना साधारण परिवार के लिये अति कठिन है। पहले यह रीकनेक्शन चार्जेज 7 रुपये होते थे लेकिन अब शहर के रहने वाले बिजली के उपभोक्ता बहुत परेशान हैं। इसके अलावा मिनिमम चार्जेज भी 15 रुपये हैं। बिजली अगर कोई खर्च न करें तो उसे मिनिमम चार्जेज के रूप में 15 रुपये देने होंगे जो बहुत अधिक हैं। सरकार को इन दोनों बातों की ओर पुनः ध्यान देना चाहिये और उपभोक्ताओं को वही सुविधायें प्रदान करना चाहिये जो उनको पहले प्राप्त थीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा प्राइवेट संस्थाएं अब विद्युत् परिषद् द्वारा ले ली गयी हैं उनके कर्मचारियों को विद्युत् परिषद् में उसी तरह से आत्मसात कर लिया जायगा जिस तरह से दूध में शकर घुल जाती है?

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन किया। उनके सुझावों को मैंने सुना। जहां तक कि बिजलीघरों को जिनको हमने लिया है उनके कर्मचारियों क सम्बन्ध है उनके हितों को पूरी तरह से देखा जा रहा है और कुछ ही समय के अन्दर इन सब मामलों को ठीक कर दिया जायगा जिससे कर्मचारियों को पूरी तरह से संतोष रह सके और उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। जहां तक नैनीताल काशीपुर के स्टाफ वगैरह की बातें हैं तथा और बातें हैं। उनको एक-एक करके देखा जा रहा है और मैं आश्वासन देती हूं कि कन्ज्यूमर्स के इन्टरेस्ट को देखते हुए जहां पर जिस तरह की उचित व्यवस्था हो सकती है, वह हो जायेगी। इन शब्दों क साथ मैं फिर इस सदन से आग्रह करूंगी कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित् किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 10

अधिनियम संख्या 9; 1910 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 की उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "ग्यारह मास" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात् :--

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और उपक्रम का अर्जन

"6-क--(1) इस धारा मे "नियत दिन" से स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर, 1975 अभिप्रेत है, और स्थानीय प्राधिकारियों के, जो अनुज्ञप्तिधारी हैं, के संबंध में ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे भिन्न-भिन्न उपक्रमों के लिये भिन्न-भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(2) धारा 4, 4-क, 5 तथा 6 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उपक्रम की अनुज्ञप्ति, जब तक कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रतिसंहृत न कर दी गयी हो, नियत दिन से प्रतिसंहृत हो जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्:--

(क) प्रत्येक उपक्रम, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत हो गई है, इस धारा के फलस्वरूप राज्य विद्युत् बोर्ड को, जिसे आगे इस धारा में 'बोर्ड' कहा गया है, अन्तरित हो जायेगा और अन्तरित हुआ समझा जायगा और बोर्ड में किसी ऋण, बन्धक या अनुज्ञप्तिधारी की उपक्रम से संलग्न वैसी ही बाध्यता से मुक्त रूप में निहित हो जायगा और निहित हुआ समझा जायगा :

परन्तु ऐसा कोई ऋण, बन्धक या वैसी बाध्यता उपक्रम के लिये संदेय रकम से संलग्न हो जायगी जैसा कि खंड (ज) में उल्लिखित है;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी की अपनी अनुज्ञप्ति के अधीन अधिकार, शक्ति प्राधिकार, कर्त्तव्य और बाध्यताएं बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगी और अनुज्ञप्ति आगे प्रवर्तनशील न रहेगी ;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम को, बोर्ड को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड उस निमित्त नियुक्त करे, तुरन्त परिदत्त करेगा, और यदि कोई सम्पत्ति या आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज जो उपक्रम का भाग हो, और अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो तो उसे ऐसा व्यक्ति भी बोर्ड या ऐसे उपर्युक्त अधिकारी को परिदत्त करेगा;

(घ) बोर्ड इस धारा के अधीन कब्जे में ली गई समस्त सम्पत्तियों, आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों और दस्तावेजों की एक तालिका यथा साध्य अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तैयार करेगा ;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी या यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न कोई व्यक्ति, उपक्रम में समाविष्ट समस्त सम्पत्ति और आस्ति और किसी लेखा-बही, रजिस्टर या दस्तावेज के लिये भी, जिसे वह खंड (ग) के अधीन बोर्ड को परिदत्त करने में असफल रहा है, हिसाब देने का उत्तरदायी होगा ;

(च) प्रत्येक उपक्रम का स्वामी नियत दिन से साठ दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा बोर्ड उस निमित्त अनुज्ञा दे, बोर्ड को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, उपक्रम की प्रतिभूति पर उपगत और नियत दिन को अस्तित्वयुक्त समस्त दायित्वों और बाध्यताओं की, और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त उपक्रम के समस्त करार और अन्य लिखतों (जिसके अन्तर्गत करार, डिक्री, पंचाट, स्थायी आदेश और उपक्रम में नियोजित किसी व्यक्ति की छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा के अन्य निबन्धन भी हैं) की भी पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा और बोर्ड इसके लिये उसे समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा ;

(छ) नियत दिन के ठीक पूर्व उपक्रम में कार्यरत कर्मचारिवर्ग निम्न-लिखित उपबन्धों से शासित होंगे :—

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में रहा हो, नियत दिन को और नियत दिन से उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों के साथ बोर्ड का कर्मचारी हो जायगा जो उसे अनुमन्य होता यदि उपक्रम बोर्ड को अन्तरित और उसमें निहित न किया गया होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन बोर्ड से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसका पारिश्रमिक या नियोजन की अन्य शर्तें और निबन्धन बोर्ड द्वारा यथाविधि परिवर्तित न कर दिये जायं :

परन्तु बोर्ड नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के भीतर की गयी सभी नियुक्तियों या कर्मचारियों को मजदूरी या वेतन में दी गयी वृद्धि की वास्तविकता का पुनर्विलोकन करने के लिये किसी अधिकारी या समिति को नियुक्त कर सकेगा, और यदि किसी ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और किसी अभ्यावेदन पर जो प्रभावित व्यक्तियों से उस निमित्त प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात् की गई कोई नियुक्ति या दी गई कोई वेतन वृद्धि बोर्ड को यथार्थ प्रतीत न हो तो वह, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी की सेवा को समाप्त या वेतन वृद्धि को रद्द कर सकेगा ;

परन्तु यह और कि पुनर्विलोकन करने वाले अधिकारी अथवा समिति, जैसी भी दशा हो, के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ii) बोर्ड किसी अधिकारी या समिति को उपखंड (i) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से लिये गये कर्मचारियों के, उनकी अर्हता, अनुभव और वर्तमान मजदूरी या वेतन और बोर्ड में उनके समान कर्मचारियों की मजदूरी या वेतन के ढांचे को ध्यान में रखकर बोर्ड की मजदूरी या वेतन के मान-क्रम में उपयुक्तीकरण के प्रयोजनार्थ नियुक्त कर सकेगा ;

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई0

(iii) संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई0 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उप–खंड (i) के अधीन बोर्ड में किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से ऐसा कोई कर्मचारी उस ऐक्ट या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा ;

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई0

(iv) शंकाओं के परिवर्तन के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपखंड (iii) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे किसी कर्मचारी द्वारा, जिसकी सेवा उप खंड (1) के अधीन समाप्त की गई हो संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई0 की धारा 6–ढ और 6–ण के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से यदि ग्राह्य हो तो प्रतिकर का दावा करने के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है ;

(ज) बोर्ड द्वारा 7–क के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी नियत दिन से उक्त रकम के संदान की तारीख तक की कालावधि के लिये उस पर उक्त रकम के अतिरिक्त नियत दिन को अभिभावी रिजर्व बैंक दर पर और एक प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा।"

धारा 7 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में, शब्द "उपक्रम राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा क्रय किया जाये" तथा शब्द "और" के बीच में शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6–क के अधीन अर्जित किया जाये" रखे जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 7–क में,—

धारा 7–क का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन क्रय" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6–क के अधीन अर्जित" रखे जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) में—

(क) खंड (1) में, शब्द तथा कोष्ठक" (जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिये उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो)" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक " (जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जो मार्ग पर प्रकाश करने के लिये स्थानीय निकायों के खर्च पर निर्मित हैं और ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिये उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो)" रखे जायेंगे और दिनांक 4 फरवरी, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (4) में, शब्द और अंक " धारा 7" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर " धारा 6–क या धारा 7" रखे जायेंगे ;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक "धारा 6 के अधीन अनिवार्य क्रय" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर " या धारा 6–क के अधीन अर्जन" रखे जायेंगे ;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और 4 फरवरी, 1975 से रखी गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"(8) जहां अनुज्ञप्तिधारी को संदेय कुल रकम—

(क) इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली कुल रकम के बराबर हो, वहां क्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कोई संदाय नहीं किया जायगा;

(ख) इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली कुल रकम से कम हो, वहां इस प्रकार संदेय कुल रकम और कटौती की जाने वाली कुल रकम का अन्तर विशेष अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।"

(v) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाई जायगी और 4 फरवरी, 1975 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :-

"(9) जहां कोई ऐसी रकम जो क्रेता की न हो, उपधारा (5) के खण्ड (ग), खण्ड (ङ) खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन उसके द्वारा काटी गई हो या उपधारा (8) के अधीन वसूल की गई हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व, यथास्थिति, राज्य सरकार या अन्य निकायों या उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं के प्रति इस प्रकार की गई कटौती और वसूली की सीमा तक उन्मोचित हो जायगा और अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर क्रेता उस सीमा तक उनके प्रति उत्तरदायी हो जायगा।"

धारा 7-कक का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 7-कक में,—

(i) उपधारा (1) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 6 की उपधारा (6)" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "या धारा 6-क की उपधारा (3) के खण्ड (ग)" रखे जायेंगे, और

(ii) उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "धारा 7 के उपबन्ध" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "यथास्थिति, धारा 6-क या धारा 7 के उपबन्ध" रखे जायेंगे।

धारा 42-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 42-क में, शब्द "धारा 6 की उपधारा (6-क)" और शब्द "के किसी उपबन्ध का" के बीच में शब्द "या धारा 6-क" रखे जायेंगे।

धारा 42-कक का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 42-कक के खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 6 की उपधारा (6)" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक या धारा 6-क की उपधारा (2) के खंड (ग)" रखे जायेंगे।

वैधीकरण

9—किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किया हुआ तात्पर्यित कोई कार्य या की गई या हुई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसको अन्तर्गत, विशिष्टतः उसकी धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की कालावधि भी है, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन होते हुए, उसी प्रकार विधि मान्य समझी जायगी और सदैव

विधि मान्य होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को उक्त धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ग्यारह मास से अन्यून की सूचना विधिमान्य होगी और सदैव विधिमान्यतः दी गई समझी जायगी।

निरसन और अपवाद

10—(1) भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1976

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1—(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 27 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे यहां नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा प्राप्त हुई हैं। दोनों अनुपस्थित हैं इसलिये अस्वीकार की गयीं।

अब हम उठते हैं, कल फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
30 मार्च, 1976।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा;
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 638 पर।)

श्री बाबूलाल, प्रधान ग्राम सभा भीखादेव कहिजरी के विरुद्ध आरोपों का विवरण

(1) उक्त गांव सभा के अन्तर्गत गांव भीखदेव में बाजार व मछली का नीलाम प्रतिवर्ष होना चाहिये। उपरोक्त प्रधान ने वर्ष 1969–70 से 71–72 तक उक्त बाजार एवं मछली का ठेका प्रतिवर्ष 8510.00 रु0 की दर से उठाया और इसी प्रकार 25530.00 रु0 प्राप्त किया पर उसे गांव सभा कोष में जमा न करके स्वयं हड़प लिया।

(2) उपरोक्त प्रधान ने वर्ष 72–73 में बाजार एवं मछली का ठेका क्रमशः 7660.00 रु0 एवं 850.00 कुल 8510.00 रु0 पर उठाया उसमें 4210.00 बतौर अग्रिम प्राप्त किया और उसे गांव सभा फंड में जमा न करके स्वयं हड़प कर गबन कर लिया है।

(3) वर्ष 68–69 में उपरोक्त प्रधान ने मुवलिग 2320.00 रु0 का व्यय बतौर फरजी एवं नियम विरुद्ध मजदूरी व 93.75 रु0 का फर्जी एवं नियम विरुद्ध यात्रा भत्ता कुल 2413.75 रु0 का व्यय दिखाकर गबन कर लिया।

(4) उपरोक्त प्रधान ने अमानत वापसी का व्यय 3484.00 रु0 फर्जी तौर पर अपने नाम एवं किशोरी लाल व लालाराम की फर्जी एवं नियम विरुद्ध देना दिखाकर हड़प लिया और सार्वजनिक धन को बरबाद किया।

(5) उपरोक्त प्रधान ने 6244.00 रु0 का फर्जी एवं नियम विरुद्ध गान्धी स्मारक के निर्माता में व्यय दिखाकर धन का दुरुपयोग एवं गबन किया। निर्माता कार्य हेतु न तो कोई प्रस्ताव है और न ही प्लान, स्टीमेट तथा निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति है।

(6) उपरोक्त प्रधान ने प्राइमरी पाठशाला धन्नी निवादा के निर्माण में फर्जी एवं नियम विरूद्ध व्यय दिखाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। इसी प्रकार बजरंग रोड एक व्यक्तिगत सड़क है जिसपर 648.00 रु0 मिट्टी डलाई फर्जी एवं नियम विरुद्ध दिखाकर गबन किया।

(7) उपरोक्त प्रधान ने बाजार के ठेकेदार, श्री रामकुमार से 1750 रु0 वसूल किये एवं ठेकेदार को रसीद नहीं दी और न इस धन को गांव सभा कोष में जमा किया इसी प्रकार श्री नारायण ठेकेदार से भी रुपया लेकर रसीद नहीं दी और न ही गांव सभा कोष में धन जमा किया।

(8) उपरोक्त प्रधान ने गांव सभा के टीन के तख्ते नियम विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर बेचकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एवं गबन किया।

(9) उपरोक्त प्रधान ने गांव सभा फंड की पोस्ट आफिस पास बुक तथा अन्य अभिलेख गायब कर रखे हैं, जिन्हें प्रस्तुत नहीं करता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 647 पर)

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता (2) अनुभाग (स्थापना)

संख्या सी–26/2—12–सी–76

लखनऊ, 13 फरवरी, 1976

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11; 1966) की धारा 123 (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 390 (ख) (1) के अनुसरण में राज्यपाल महोदय, सहर्ष उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 (पी0 सी0 यू0) को समस्त प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां (जिस के अन्तर्गत उनके केन्द्रीय बैंक भी हैं) सहकारी संघों, तथा क्रय–विक्रय समितियों के लिये सहकारी संघ प्राधिकारी की मान्यता देते हैं।

2—उक्त सहकारी संघ प्राधिकारी को समस्त प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के पर्यवेक्षण के लिये पर्यवेक्षकों, सहकारी संघों के कार्य सम्पादन हेतु सचिवों एवं क्रय–विक्रय समिति में कार्य करने हेतु लेखाकार एवं भण्डारक की नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक नियंत्रण एवं विमुक्ति का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।

3—(1) कार्य संचालन हेतु सहकारी संघ प्राधिकारी की राज्य स्तर पर "प्राधिकारी प्रशासनिक कमेटी" होगी जिसका गठन निम्नवत होगा—

(1) अतिरिक्त निबंधक (प्रशासन) सहकारी समितियां, उ0 प्र0 ..... अध्यक्ष

(2) उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 (पी0 सी0 यू0) की प्रबन्ध कमेटी द्वारा नामांकित दो (2) संचालक .. .. सदस्य

(3) सचिव, उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ .. .. सदस्य

(4) सचिव, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0 (पी0 सी0 यू0) .. सदस्य/सचिव

(2) यह कमेटी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों की भर्ती तथा प्रशिक्षण करने अपील सुनने तथा पर्यवेक्षकों एव कामदारों की सामान्य प्रशासनिक नीति निर्धारित करने के लिये उत्तरदायी होंगी।

(3) सचिव, उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन, "प्राधिकारी प्राशासनिक कमेटी" के सदस्य–सचिव भी होंगे, जो उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। यह सहकरिता विभाग के अधिकारी होंगे तथा उस विभाग के सहकारी समिति उप निबंधक के स्तर से कम के अधिकारी न होंगे।

(4) सहकारी संघ प्राधिकारी, सदस्य सचिव के सहयतार्थ एक अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति करेगी। यह सहकारिता विभाग के अधिकारी होंगे तथा उस विभाग के सहकारी समिति सहायक निबंधक के स्तर से कम के नहीं होंगे।

4—क्षेत्र स्तर पर सहकारी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों के प्रशासनिक मामलों को तत्परता से निस्ताण हेतु, "प्राधिकारी प्रशासनिक कमेटी" द्वारा भर्ती एवं प्रशिक्षित कराये गये पर्यवेक्षकों एवं कामदारों की नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र के सहकारी समिति उप–निबन्धक को होगा, जो क्षेत्र के भीतर स्थानान्तरण करने तथा नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से पर्यवेक्षकों एवं कामदारों के समस्त सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

5—(1) जनपद स्तर पर सहकारी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों के कुशल प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एक "जनपदीय कमेटी" रहेगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :—

(1) सहकारी समिति जिला सहायक निबंधक .. अध्यक्ष

(2) जिला अधीक्षक, उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 .. सदस्य

(3) सचिव; जिला सहकारी बैंक लि0 .. .. सदस्य/सचिव

(2) इस कमेटी को पर्यवेक्षकों एवं कामदारों को जनपद के भीतर स्थानान्तरण करने, उनकी सेवा पुस्तिका एवं चरित्र-पंजिका रखने का अधिकार होगा एवं जिसके लिये वह उत्तरदायी भी होगी। इस कमेटी को सहकारी पर्यवेक्षक एवं कामदारों को निलम्बित करने का भी अधिकार होगा।

6—राज्य स्तर, क्षेत्र स्तर तथा जनपद स्तर पर गठित कमेटी के सदस्यगण पदेन एवं अवैतनिक होंगे।

7—सहकारी संघ प्राधिकारी के विभिन्न स्तर पर गठित कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से अलग होने पर उक्त कमेटी के सदस्य नहीं रह जायंगे तथा उनका स्थान उनके पद पर नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति ग्रहण कर लेंगे।

8—राज्य स्तरीय "प्राधिकारी प्रशासनिक कमेटी" का कार्यालय, लखनऊ में तथा जिला स्तरीय कमेटी का कार्यालय जिला मुख्यालय पर होगा।

9—सहकारी संघ प्राधिकारी सभी स्तरों पर कार्य संचालन के लिये विस्तृत नियमावली अनुमोदित होने पर प्रभावी होगी।

10—सहकारी संघ प्राधिकारी इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से कार्य करना प्रारम्भ कर दगा।

कृपानारायण श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव।

सं0 सी0-26 (1)/2-12-सी-76

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

(1) निबंधक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ।
(2) सचिव, प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ।
(3) सचिव, सहकारी बैंक लि0, लखनऊ।
(4) सचिव, कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,
मोहन चन्द्र जोशी,
उप सचिव।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 655 पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिये प्राधिकारी का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं।

2—इस अधिनियम में—

(क) "सुविधा", के अन्तर्गत सड़क, जल–सम्भरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत् सम्भरण, सीवर-व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा–करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवा या सुविधा है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें ;

(ख) "प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है ;

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;

(घ) "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करे ;

(ङ) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और 'अध्यासी' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

(च) "अन्तरिती" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और 'अन्तरिती' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

(छ) शब्द और पदावलि "भवन", "विकास", "भवन के परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिये दिये गये हैं।

प्राधिकारी का गठन

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये प्राधिकारी का गठन कर सकती है, "जिसे (क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकारी" कहा जायगा।

(2) प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे :—

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद के नीचे का न हो—पदेन	सदस्य-अध्यक्ष
(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन	सदस्य
(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन	सदस्य
(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन	सदस्य
(ङ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम—पदेन	सदस्य
(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच सदस्य	सदस्य
(छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ..	सदस्य-सचिव,

(4) प्राधिकारी का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(5) प्राधिकारी के बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य न होगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4—(1) प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह प्राधिकारी का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकारी के कर्मचारि वृन्द।

5—(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायं, प्राधिकारी उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनकी श्रेणी और पदाभिधान अवधारित कर सकता है।

(2) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जिस पर प्राधिकरी के साथ सहमति हो।

प्राधिकारी के कृत्य

6—(1) प्राधिकारी का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) प्राधिकारी के उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा:—

(क) औद्योगिक विकास क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से, भूमि अर्जित करना ;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना ;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

(घ) औद्योगिक वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये अनुरचना की व्यवस्था करना ;

(ङ) सुविधा की व्यवस्था करना ;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिये प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना ;

(छ) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ; और

(ज) उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिये किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायगा।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी की शक्ति।

7—प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकारी की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से, बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति।

8—(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकारी निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे निदेश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे—

(क) किसी भवन के उत्सेध या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप ;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरेखण ;

(ग) भवनों में और उनके आस-पास रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में और भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें ;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या ;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन ;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्य निर्माण की ऊंचाई और स्थिति का अनुरक्षण ;

(छ) सुविधा का अनुरक्षण ;

(ज) जिस प्रयोजन के लिये स्थल आबंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन ;

(झ)—(1) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी,

(2) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण, और

(3) नगर के कूड़ा-करकट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था किये जाने वाले साधन।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और यथाशक्यशीघ्र किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठायेगा जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये आवश्यक हों।

विनियमों का उल्लंघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक।

9—(1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

(2) प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिये विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) किसी भवन की वाह्य और विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिये प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति ;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो ;

(ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊंचाई और ढाल ;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोक-थाम के लिये किसी भवन या उसके भाग म वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह ;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उसकी ऊंचाई ;

(च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन ;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिये आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था।

(ज) भवनों के परिनिर्माण, समापन और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिये कोई अन्य विषय ;

(झ) प्रमाण-पत्र जो योजना, संशोधित योजना और समापन आख्या को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक और आनुषंगिक हों।

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

10—यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे जसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि

उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है ।

कर का उद्ग्रहण

11—(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या किसी जारी रखने के प्रयोजनों के लिये, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु ऐसे कर का कुल भार ऐसे स्थल या भवन के वार्षिक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, पदावलि " वार्षिक मूल्य" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 174 में दिया है ।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक–हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अन्तरिती या अध्यासी या उसके किसी श्रेणी को उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

12—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 6 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, प्राधिकारी पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि—

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण को प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

13—जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल–धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकारी को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी फ़ीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी ।

अंतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिये समपहरण

14—(1) प्राधिकारी द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल धन या उसके किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य–कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन को पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके संबंध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है ।

(2) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहां कलेक्टर, उसके अधिमाचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता ह या करा सकता ह जो आवश्यक हो ।

शास्ति

15—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जुर्माना से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, और सतत अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

प्रवेश आदि की शक्ति

16—मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित प्रयोजन के लिये सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है—

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल ;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाना ;

(ग) इस बात का पता लगाना कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेना और कोई ऐसा कार्य करना जो ऐसे प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ;

(घ) कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिये आवश्यक हो ।

परन्तु—

(1) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जायगा ;

(2) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा ;

(3) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिये प्रवेश किया जाता है ।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

17—किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

18—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

19—(1) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकारी के कार्यकलाप के प्रशासन के लिये विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो। विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कार्य-संचालन, और उसमें गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या जो आवश्यक हो ;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्त्तव्य ;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र रजिस्टर का प्रपत्र ;

(घ) प्राधिकारी की सम्पत्तियों का प्रबन्ध ;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस ;

(च) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जाय।

उद्देश्य और कारण

राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य में उपयुक्त क्षेत्रों का विकास औद्योगिक नगरी के रूप में किया जाय और इस प्रयोजन के लिये एक प्राधिकारी गठित किया जाय। यह प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा और उसे स्थलों का विकास, भवनों का निर्माण आदि करने के सम्बन्ध में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भांति संविधिक शक्ति होगी। शासन का विचार है कि सर्वप्रथम बुलन्दशहर जिले में ओखला के पास एक उद्योग लोक की रचना की जाय और भविष्य में इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पुनःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 656 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 को निरस्त करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :—

परन्तु ऐसे निरसन से,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रकाशन के, जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो,

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट माध्यम से, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, प्रसारित कोई रिपोर्ट या सामग्री के,

सम्बन्ध में सिविल या दाण्डिक, किसी कार्यवाही पर (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विचाराधीन हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ की जाय) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तद्नुसार ऐसी किसी कार्यवाही का निस्तारण उसी प्रकार किया जायगा, मानो उक्त अधिनियम का प्रवर्तन जारी हो और यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो।

उद्देश्य और कारण

1974 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम पार्लियामेन्टरी प्रोसीडिंग्स (प्रोटेक्शन आफ पब्लिकेशन) ऐक्ट, 1956 पर आधारित था। केन्द्रीय अधिनियम निरसित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संसद ने हाल ही में प्रिवेन्शन आफ़ पब्लिकेशन आफ आब्जेक्शनेबिल मैटर ऐक्ट, 1976 पारित किया है जिसमें किसी समाचार पत्र को कोई ऐसा विषय प्रकाशित करने का प्रतिषेध है जो उस अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार "आपत्तिजनक विषय" हो। इस प्रकार कोई बात जो उक्त अधिनियम के अर्थों में "आपत्तिजनक विषय" हो संसद में भी कही जाय तो उसे प्रकाशित करने वाले किसी भी समाचार-पत्र को संरक्षण नहीं प्राप्त है। भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति के अनुसार यह समुपयुक्त समझा गया है कि उक्त राज्य अधिनियम को भी निरसित कर दिया जाना चाहिये।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अम्मार रिजवी,
संसदीय कार्य मंत्री।

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 656 पर)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश में वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा

2—यह अधिनियम—

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर,

(ख) उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-38-ज के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो,

(ग) नागर क्षेत्रों में स्थित वृक्षों पर,

(घ) राजकीय उद्यान में या सरकार की भूमि पर स्थित वृक्षों पर,

लागू न होगा।

परिभाषाएं

3—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(एक) "रिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भूखंड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों ;

(दो) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिए दिया गया है ;

(तीन) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्त्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(चार) "प्रभागीय वन अधिकारी" का तात्पर्य किसी वन प्रभाग के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है ;

(पांच) सजातीय पद सहित "वृक्ष के निपातन" का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छाटने, ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुंचाने से है ;

(छः) "राजकीय उद्यान" का तात्पर्य फल फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिये प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू-खंड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है ;

(सात) "खाता" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में उसके लिये दिया गया है ;

(आठ) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिये दिया गया है ;

(नौ) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(दस) "वृक्ष" का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास धरातल से तीस सेन्टी-मीटर की ऊंचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊंचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है और क्रमशः पद "इमारती लकड़ी वाले वृक्ष" और "फल वाले वृक्ष" का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है ;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परि-ष्कार कर सकती है ;

(ग्यारह) "नागर क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगर-महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास अधिकारी की सीमा में सम्मिलित हो ;

(बारह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा-संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, "शब्द और पद" के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।

वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्धन

4—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति—

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा ;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिलकुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न किसी वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा ।

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा

5—सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है :

परन्तु यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा;

परन्तु यह और कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तत्कालिक कार्यवाही की जा सकती है, जो किसी विरोध या अपदूषण को हटाने के लिये या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो ।

वृक्ष के निपातन या अपनयन की अनुज्ञा लेने की प्रक्रिया

6—(1) धारा 5 के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसी रीति से दिया जायगा और उनमें ऐसे ब्योरे होंगे जो विहित किये जाएं ।

(2) सक्षम प्राधिकारी अपना विनिश्चय वन, बाग, या सार्वजनिक भू-गृहादि में उगे हुए किसी वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, और किसी गिरे हुए वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की स्थिति मे, ऐसे आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर देगा ।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (2) में अनुमत समय के भीतर अपना विनिश्चय देने में असफल रहता है तो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी गयी समझी जायगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे रूप में और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो विहित की जाए, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र मे पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है ।

वृक्षारोपण का दायित्व

7—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गयी है, उस क्षेत्र में, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण के लिये बाध्य होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्षारोपण करने के दायित्व से मुक्त कर सकता है ।

रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण

8—(1) जहां परगना अकिारी से अन्निम्न श्रेणी के किसी राजस्व-अधिकारी, या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र म वृक्षारोपण किया जाना चाहिये, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातदार को (जिसे आगे अध्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस म विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाय ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायगी और उसम ऐसे ब्योर होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायगी जो विहित की जाय ।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अध्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निर्देश में विनिर्दिष्ट हो ।

(4) उप धारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर संबद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन

9—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, थास्थिति अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा संबद्ध प्रभागीय न अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा ।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति में वसूल कर सकता है ।

धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये शास्ति

10—जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कठोर कारावास का, जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने का, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता, या दोनों, दण्ड दिया जायगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध

11—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से को ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम म उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपरा ध को किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकलता से किया गया है या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

इमारती लकड़ी का समपहरण

12—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसक सम्बन्ध म अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने म प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहृत किये जाने का आदेश दे सकता है ;

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाय ।

बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति

13—(1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब-इन्स्पेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्धित होने की युक्तियुक्त शंका हो, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ;

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना अनावश्यक विलम्ब किये और बन्धन-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायगा या भिजवायेगा,

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले मे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिये, बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायगा ।

अभिग्रहण करने की शक्ति

14—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष की लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन से प्रयुक्त नाव, गाड़ी, वाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वन राजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब-इन्स्पेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिगृहित किया जा सकता है ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है विचार करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण,ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के इस निमित्त अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायगा ।

अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति

1 —(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी, को किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त शंका है कि उसने किसी वन, बाग़ या सार्वजनिक भू-गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में से स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह शंका है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है ।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी ।

अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायगी

16—प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस-टेबिल, सहायक उद्यान निरीक्षक या हाथक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके किये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्ति–युक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

शास्ति देने या अधिग्रहण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्त क्षेप नहीं होगा।

17––इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

अधिकारी लोक सेवक होंगे

18–इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तिर्गत लोक–सेवक समझे जायेंगे।

धनराशि के भुगतान के लिये आदेश का निष्पादन

19––कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिये कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी।

कार्यवाहियों पर रोक

20––इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

छूट

21––ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जाये, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे

22––इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिये उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति

23––(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायगा।

नियम बनाने की शक्ति।

24––राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकती है।

अनुसूची–एक
(इमारती लक ी वाले वृक्ष)
[धारा 3 (दस) देखिए]

क्रम-संख्या	सामान्य नाम		वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	देवदार	..	सीड्स दिओदारा
2	चीड़	..	पाइनस राक्सवरगाई
3	कैल	..	पाइनस एक्सलसा
4	राय	..	पाइसिया मोरिण्डा
5	मौरि डा	..	ऐबीज पिनडरु
6	अखरोट	..	जगलेंस रिजिया
7	पपरी सन्सदू चिकड़ी	..	बोक्सस् सिमपैरविरेन्स
8	चमखरिक	..	करपिनस विमीनिया
9	बांज	..	क्यूरकस इनकाना
10	मौरु	..	क्यूरकस डाइलेट
11	खरशू	..	क्यूरकस सैमीकरपीफोलिया
12	साल	..	सौरिया रौबेसटा
13	शीशम	..	डत्वर्जिया सिस्सो
14	सागौन	..	टेक्टोना ग्रेन्डिस
15	खैर	..	ऐकेशिया केटैंशू
16	सेमल	..	सममेलिया मलवेरिका
17	कांजू	..	होलोपटेलिया इनटेग्रिफलिया
18	गटेल	..	ट्रैविया नूडी लोरा
19	सिरिस	..	ऐल्विज्जिया स्पेसिज
20	सेन आसना	..	टर्मीनलिया टौमेनटौसा
21	बहेड़ा	..	टर्मीनलिया बैलिरिका
22	हर्र	..	टर्मीनलिया चेबुला
23	तून	..	सैड्रेला तूना
24	हल्दू	..	ऐडीना कार्डिफोलिया
25	आम	..	मैंगीफेरा इंडिका
26	जामुन	..	सिजिजियम समिनि
27	नीम	..	अर्जेडिरेक्टा इंडिका
28	बकैन	..	मैलिया एजेडरेक
29	महुआ	..	ब्युका लैटिफोलिया
30	अर्जुन	..	टर्मीनिलिया अरजुन
31	चिरोजी	..	बुचनैनिया लैटिफोलिया
32	चन्दन	..	सन्टालम एलबम
33	इमली	..	टमारिनडस इंडिका
34	युक्लिपटस	..	यूकिलिपटिस स्पेसिज
35	न्दू	..	डैसपेरस टोमेनटोसा
36	धाऊ बकली	..	एनोजैसस लैटिफोलिया
37	करधई	..	एनोजेसस पैनडुला
38	सलई	..	बौसवेलिया सेरेटा
39	ढाक/पलास/ (केवल मिर्जापुर, बनारस बांदा और झांसी जिलों के लिये)	..	ब्यूटिया मोनसपरना

अनुसूची--दो

(फल वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

1	सेब	..	प्यूरस मेलस
2	नाशपाती	..	प्यूरस कम्यूनिस
3	आलुबुखारा	..	पूनस कम्पूनिस
4	आड़ू	..	पूनस परसिको
5	खुबानी	..	पूनस एरमैनाइका
6	लीची	..	नैफेलियम लिची
7	आम	..	मैंगीफेरा इंडिका
8	अमरूद	..	पैंसीडियम गाऊवा
9	अनार	..	पुनिका ग्रेनेटम
10	शरीफा	..	एनोना स्कयूमौसा
11	सन्तरा, नारंगी, नींबू, मुसम्मी, माल्टा	..	सभी तरह के सिटरस

अनुसूची--तीन

(ईंधन वाले वृक्ष)

[धारा 3 (दस) देखिए]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष

उद्देश्य और कारण

पारिस्थितिक सन्तुलन रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने और भूमि के परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये हरित आवरण के अनुरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि राज्य में वृक्ष गिराने तथा उनके पुनः आरोपण को विनियमित किया जाय। इस विषय पर कोई व्यापक विधायन नहीं है, और वर्तमान अधिनियमिति को अर्थात 1948 ई० का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट (यू० पी० ऐक्ट संख्या 6, 1949 ई०) प्रभावकारी नहीं पाया गया है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—एच० 38 वि० सभा (77)—1976—840।